अखिल भारतीय कामगार महिला समन्वय समिति (सीटू)

पत्रिका

अक्टूबर 2006 | केवल सदस्यों के लिए | मूल्य 4 रुपये

आंगनवाड़ी कर्मचारियों का ऐतिहासिक धरना

(ऊपर) केरल के मुख्यमंत्री वी एस अच्युतानन्दन आंगनवाड़ी कर्मचारियों का अभिनन्दन करते हुए (नीचे) धरने की दो झलकियां

आंगनवाड़ी कर्मचारियों का ऐतिहासिक संघर्ष

□ के हेमलता

पूरे दस दिन तक, देश की राजधानी के बीचों-बीच स्थित जंतर-मंतर के गिर्द का पूरा का पूरा इलाका जैसे आंगनवाड़ी कर्मियों के घेरे में था। वे 25 जुलाई से अपनी मांगें उठाने के लिए राजधानी पहुंच रहे थे। इस क्रम में देश के पूरे 22 राज्यों से आयी करीब 20,000 आंगनवाड़ी सेविकाओं तथा सहायकों ने, दस दिन के क्रमिक जन भूख हड़ताल में हिस्सा लिया। इस कार्रवाई में आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पांडिचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल तथा पश्चिम बंगाल से आये आंगनवाड़ी कर्मियों का प्रतिनिधित्व हुआ, जिसमें मुख्य हिस्सा महिलाओं का ही था। सीआइटीयू से संबद्ध, आंगनवाड़ी सेविकाओं तथा सहायकों की अखिल भारतीय फैडरेशन ने, इस ऐतिहासिक कार्रवाई का आह्वान किया था।

एक अनोखी कार्रवाई

देश भर से आये इन आंगनवाड़ी कर्मियों की सबसे प्रमुख मांग तो यही थी कि समेकित बाल विकास सेवा योजना (आइ सी डी एस) को, जोकि छः वर्ष से कम के बच्चों, गर्भवती तथा बच्चों को दूध पिलाने की अवस्था की महिलाओं के कल्याण के लिए, भारत सरकार का सबसे प्रमुख कार्यक्रम है, सरकार का स्थायी कार्यक्रम बनाया जाए। इसी से जुड़ी मांग यह है कि आंगनवाड़ी सेविकाओं तथा सहायकों को, जोकि स्थानीय स्तर पर इस कार्यक्रम के सबसे प्रमुख कार्यकर्ता व वास्तव में उसकी जान ही हैं, क्रमशः तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के रूप में मान्यता दी जाए। बहरहाल, जब तक सरकार इस मांग को पूरा नहीं कर देती है, तब तक के लिए उनकी मांग थी कि तत्काल उन्हें दी जाने वाली राशि बढ़ायी जाए; उनके लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ स्वतःसंबद्धता पर आधारित मंहगाई भत्ता, प्रोवीडेंट फंड, ई एस आइ, पेंशन सुविधाओं तथा सेवानिवृत्ति पर तदर्थ भुगतान का प्रावधान किया जाए; और आंगनवाड़ी कर्मियों के मुद्दों को हल करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक त्रिपक्षीय व्यवस्था स्थापित की जाए।

हमारे देश के ट्रेड यूनियन आंदोलन ने अब तक कितनी ही बहादुरीपूर्ण लड़ाइयां लड़ी हैं। अनेक हड़तालें आयोजित की गयी हैं, जिनमें लाखों की संख्या में मजदूरों ने हिस्सेदारी की है। मजदूर वर्ग की मांगों को लेकर देश की राजधानी में ही विराट लामबंदियां हुई हैं। फिर भी, हमारे देश के ट्रेड यूनियन आंदोलन के इतिहास में संघर्ष के इस रूप की दूसरी मिसाल नहीं मिलेगी, जिसमें हर रोज करीब दो हजार कर्मचारियों ने, पूरे चौबीस घंटे तक राजधानी की सड़कों पर धरना दिया तथा वे सड़कों पर ही सोये-जागे, जब तक कि अगले जत्थे ने आकर उनकी जगह नहीं ले ली। यह और भी उल्लेखनीय है कि यह बहादुरीपूर्ण संघर्ष काम-काजी महिलाएं चला रही थीं और इस तरह वे इस आम धारणा का भी जोरदार खंडन कर रही थीं कि महिलाएं ट्रेड यूनियनों की कार्रवाइयों में सक्रिय रूप से हिस्सेदारी नहीं करती हैं। इन दस दिनों में से पहले तीन दिन, राजधानी को भारी बारिश का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन, भारी बारिश के बावजूद और अगले सात दिन कड़ी धूप झेलने के बावजूद, आंगनवाड़ी कर्मियों ने जिस दृढ़ता के साथ संघर्ष का अपना कार्यक्रम जारी रखा, उसे बहुत ही प्रेरणादायक ही कहा जाएगा। लगातार बारिश, टपकते हुए तंबुओं और गीली दरियों का इन महिला कामगारों के संकल्प और उत्साह पर रत्तीभर असर नहीं पड़ा।

व्यापक और जबर्दस्त हिस्सेदारी

दस दिन की क्रमिक भूख हड़ताल के इस कार्यक्रम के लिए आंगनवाड़ी कर्मियों की फैडरेशन के आह्वान को आम तौर पर देश भर में जबर्दस्त समर्थन मिला। बिहार जैसे राज्यों से भी, जहां आंगनवाड़ी कर्मियों की यूनियन बहुत मजबूत नहीं है, हजारों की संख्या में आंगनवाड़ी कर्मियों ने संघर्ष में हिस्सा लिया। इस कार्रवाई में हिंदीभाषी राज्यों के आंगनवाड़ी कर्मियों की हिस्सेदारी खासतौर पर उत्साहवर्द्धक रही। उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान तथा प्रदेश जैसे राज्यों से तो उम्मीद से ज्यादा आंगनवाड़ी कर्मियों ने इस कार्रवाई में भाग लिया। फिर भी, इस कार्रवाई के लिए दिल्ली पहुंचने वाला सबसे बड़ा जत्था पंजाब से था। उसके बाद कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार तथा हरियाणा के जत्थे थे। जहां से एक-दो सौ की उम्मीद थी, वहां से हजारों की संख्या में आंगनवाड़ी कर्मियों के पहुंचने के चलते कुछ वालंटियरों ने तो इसे ''सुनामी'' का ही नाम दे दिया था। बेशक, उम्मीद से बहुत बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने और दूसरी ओर बारिश के चलते, पहले ही अपर्याप्त जगह के और भी अपर्याप्त हो जाने से, इस कार्रवाई के लिए बाहर से पहुंचने वालों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। फिर भी मजाल है जो किसी ने जरा भी शिकायत की हो। वास्तव में आंगनवाड़ी कर्मियों को जिन दयनीय हालात में काम करना पड़ रहा है और जिस तरह भयंकर शोषण का तथा तरह-तरह से परेशान किए जाने का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, उसने उन्हें अच्छी तरह से समझा दिया है कि उनके लिए संघर्ष के सिवा और कोई विकल्प ही नहीं है। इस लिहाज से फैडरेशन ने एकदम उपयुक्त समय पर इस कार्रवाई का आह्वान किया था और उसका यह आह्वान देश भर के आंगनवाड़ी कर्मियों के मूड को अच्छी तरह से प्रतिबिंबित करता था।

दस दिन की क्रमिक जन-भूख हड़ताल के पंडाल में, हमारे देश की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता के भी सहज ही दर्शन हो जाते थे। प्रदर्शन में शामिल होने वाली महिलाएं वैसे तो भिन्न-भिन्न भाषाएं बोलने वाली थीं, फिर भी उन्होंने परस्पर संवाद के अपने ही तरीके निकाल लिए थे। इसी का नतीजा था कि तमिलनाडु की आंगनवाड़ी सेविकाएं, पंजाबी गीतों पर तालियां बजा रही थीं, तो आंध्र प्रदेश की आंगनवाड़ी सेविकाएं, हिमाचली गीतों पर नाच रही थीं। इसी प्रकार, हजारों लोगों की हिस्सेदारी के बावजूद, क्रमिक भूख हड़ताल का कार्यक्रम बहुत ही अनुशासित तरीके से चल रहा था। प्रदर्शनकारियों के पंडाल में लगातार नारे लगते रहते थे और आंदोलन की मांगों व आंगनवाड़ी कर्मियों की समस्याओं से जोड़कर, गीत तथा नृत्य प्रस्तुत किए जाते

रहते थे। अनेक आंगनवाड़ी कर्मियों ने तो अपनी रचनात्मक प्रतिभाओं का प्रदर्शन करते हुए, आंदोलन स्थल पर कविताएं लिखीं व गीत लिखे।

चौतरफा समर्थन

सीआइटीयू अध्यक्ष, एम के पंधे ने दस दिन के इस आंदोलन कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जबकि सीआइटीयू महासचिव चित्तब्रत मजूमदार के संबोधन के साथ इस कार्रवाई का समापन हुआ। इन दोनों नेताओं के अलावा सीआइटीयू के दूसरे अनेक नेता भी नियमित रूप से कार्रवाई स्थल पर जाते रहे और संघर्षशील आंगनवाड़ी कर्मियों के लिए अपने समर्थन व एकजुटता का इजहार करते रहे थे। सीआइटीयू ने इस संघर्ष को अपना पूरा-पूरा समर्थन दिया और इस कार्रवाई को प्रभावशाली बनाने के लिए अपनी ओर सभी संभव सहायता दी। सीआइटीयू केंद्र से काम कर रहे सचिवों का एक तीन सदस्यीय दल--जिसमें हेमलता के अलावा डब्ल्यू आर वरदराजन तथा दीपंकर मुखर्जी शामिल थे--नियमित रूप से इस कार्रवाई का मार्गदर्शन करने का काम कर रहा था और सभी संभव सहायता जुटा रहा था।

आंगनवाड़ी कर्मियों के इस संघर्ष को जनता के विभिन्न तबकों से भी बहुत व्यापक रूप से समर्थन हासिल हुआ। बीमा, बैंक, राज्य सरकार कर्मचारी, केंद्र सरकार कर्मचारी, मैडीकल रिप्रेजेंटेटिव्स, बी एस एन एल व सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के भी संगठनों समेत अनेक ट्रेड यूनियनों ने संघर्षरत आंगनवाड़ी कर्मियों के संघर्ष को अपनी शुभकामनाएं दीं और उनके साथ एकजुटता का इजहार किया। इसी प्रकार किसानों, खेत मजदूरों, महिलाओं, युवाओं, छात्रों आदि के संगठनों के नेताओं ने भी इस संघर्ष के साथ अपनी एकजुटता का इजहार किया। हर रोज सीआइटीयू का कोई नेता पिछले दिन की भूख हड़ताल खत्म कराता था और किसी अन्य जनसंगठन का नेता राज्यों के प्रतिनिधिमंडलों के नेताओं को फूल मालाएं पहनाकर, अगले दिन की भूख हड़ताल शुरू कराता था। जन नाट्य मंच के कलाकार नियमित रूप से कार्रवाई स्थल पर जाते रहे थे और उन्होंने अपने नुक्कड़ नाटक भी दिखाए। जनसंस्कृति के एक ग्रुप ने भी प्रतिनिधियों की अगवानी की।

आंगवाड़ी कर्मियों की फैडरेशन ने सभी पार्टियों के संसदीय नेताओं को पत्र लिखकर, उनसे आग्रह किया था कि आंदोलनकारी आंगनवाड़ी कर्मियों के मुद्दे संसद में उठाएं। जब संसद के दोनों सदनों में सी पी आइ (एम) ने यह मुद्दा उठाया, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के अनेक सांसदों ने अपनी दलगत संबद्धताओं से ऊपर उठकर, इस मुद्दे से अपनी सहमति दर्ज करायी। हर रोज सी पी आइ (एम) के चार-पांच सांसद कार्रवाई स्थल पर पहुंचते थे और संघर्षशील आंगनवाड़ी कर्मियों के साथ एकजुटता का इजहार करते थे। आंगनवाड़ी कर्मियों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का अनुरोध करते हुए प्रधानमंत्री को जो ज्ञापन दिया गया, उस पर सत्तर से ज्यादा सांसदों ने हस्ताक्षर किए थे।

केरल के मुख्यमंत्री वी एस अच्युतानंदन तथा उनके मंत्रिमंडल के कुछ अन्य सदस्य, जिनमें राज्य की महिला तथा बाल कल्याण मंत्री पी के श्रीमती भी शामिल थीं, भूख हड़ताली आंगनवाड़ी कर्मियों से मिलने पहुंचे और उनके संघर्ष के साथ उन्होंने अपनी एकजुटता का इजहार किया। इसी प्रकार, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक सरकार ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखकर उनसे आग्रह किया कि आंगनवाड़ी कर्मियों की जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए। उन्होंने अपने इस पत्र की एक प्रति, आंगनवाड़ी कर्मियों की मांगों के समर्थन के अपने पत्र के साथ आंगनवाड़ी कर्मियों की फैडरेशन को भेजी थी। सी पी आइ (एम) महासचिव, प्रकाश कारात भी भूख हड़ताल पर बैठे आंगनवाड़ी कर्मियों से मिलने गए और उन्होंने भी सरकार से उनकी जायज मांगें पूरी

करने का आग्रह किया।

सकारात्मक कदमों का आश्वासन

सी पी आइ (एम) संसदीय दल के नेता तथा पार्टी के पोलिट ब्यूरो के सदस्य, सीताराम येचुरी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 3 अगस्त को प्रधानमंत्री से मुलाकात की और उन्हें आंगनवाड़ी कर्मियों की मांगों का ज्ञापन दिया। प्रतिनिधिमंडल में सीआइटीयू महासचिव, सांसद चित्तब्रत मजूमदार, सीटू सचिव व सांसद तपन सेन, सीआइटीयू वर्किंग कमेटी के सदस्य व सांसद वासुदेव आचार्य और आंगनवाड़ी कर्मियों की फैडरेशन की अध्यक्ष नीलिमा मैत्र, फैडरेशन की महासचिव हेमलता तथा कोषाध्यक्ष ए आर सिंधु शामिल थीं।

प्रधानमंत्री ने यह स्वीकार किया कि समेकित बाल विकास कार्यक्रम (आइ सी डी एस) हमारे देश में बच्चों तथा महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा है और उन्होंने बताया कि उनकी सरकार इस कार्यक्रम का विस्तार करने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि आंगनवाड़ी सेविकाओं तथा सहायकों को, जिनके कंधों पर इस कार्यक्रम का सारा दारोमदार है, बहुत कम पैसा मिलता है और उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार इसमें बढ़ेतरी करेगी। उन्होंने यह भी माना कि 20-25 साल काम करने के बाद, जब आंगनवाड़ी कर्मियों से सेवानिवृत्त होने के लिए कहा जाता है, उनकी क्षतिपूर्ति की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि वह महिला तथा बाल कल्याण मंत्री से इस संबंध में चर्चा करेंगे और उसके बाद आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

4 अगस्त को, इस दस दिन की कार्रवाई के समापन के कार्यक्रम में सीताराम येचुरी ने हिस्सा लिया और उन्होंने आंगनवाड़ी कर्मियों को बधाई दी। उन्होंने यह भरोसा भी दिलाया कि सरकार पर इसके लिए पूरा दबाव डाला जाएगा कि प्रधानमंत्री ने जो भी आश्वासन दिए हैं उन्हें ठोस यथार्थ का रूप दिया जाए और प्रासंगिक सरकारी आदेश जल्द से जल्द जारी किए जाएं। एम के पंधे, चित्तब्रत मजूमदार तथा सीआइटीयू के अन्य पदाधिकारियों ने भी समापन सत्र में हिस्सा लिया और आंगनवाड़ी कर्मियों तथा उनकी फैडरेशन को उनके बहादुरीपूर्ण संघर्ष के लिए बधाई दी। उन्होंने आंगनवाड़ी कर्मियों से आग्रह किया कि अपनी मांगें पूरी होने तक संघर्ष जारी रखें। सीआइटीयू नेताओं ने यह भी रेखांकित किया कि किस तरह आंगनवाड़ी कर्मियों की सेवाओं को नियमित करने का संघर्ष, मौजूदा सरकार की जनविरोधी नीतियों को पलटने के संघर्ष के साथ जुड़ा हुआ है। उन्होने आंगनवाड़ी कर्मियों से अपील की कि इन नीतियों के खिलाफ ट्रेड यूनियनों की आयोजन समिति के अभियान में और 14 दिसंबर को होने जा रही आम हड़ताल में भी शामिल हों।

लड़ाई और तेज होगी

आंगनवाड़ी कर्मियों ने भी यह संकल्प जताया कि अगर प्रधानमंत्री के आश्वासनों को ठोस कदमों का रूप नहीं दिया जाता है और प्रासंगिक सरकारी आदेश जल्द से जल्द जारी नहीं किए जाते हैं, तो संघर्ष और तेज किया जाएगा। उन्होंने तय किया कि जब तक सेवाएं नियमित किए जाने की उनकी सबसे प्रमुख मांग पूरी नहीं होती है, संघर्ष तेज से तेज किया जाता रहेगा। आंगनवाड़ी कर्मियों की फैडरेशन की बैठक 5 अगस्त को हुई। बैठक में तय किया गया कि आंगनवाड़ी कर्मियों के बीच संघर्ष के कार्यक्रम पर विस्तृत प्रचार अभियान चलाया जाएगा। इसके क्रम में अगस्त के महीने में सैक्टर/ परियोजनावार जनरलबॉडी मीटिंगें की जाएंगी और पर्चे बांटे जाएंगे। इसके बाद सितंबर के महीने में प्रोजैक्ट स्तर पर प्रदर्शन, धरना, जुलूस आदि के कार्यक्रम होंगे। अक्टूबर व नवंबर के महीनों में पोस्टकार्ड अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत प्रधानमंत्री के नाम पोस्टकार्ड भेजे जाएंगे, जिनकी एक प्रति महिला व बाल कल्याण मंत्री को भी भेजी जाएगी। यह भी तय किया गया कि संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्य/ जिला स्तर पर रैलियां आयोजित की जाएं। □

वी एस अच्युतानंदन : केरल के मुख्य मंत्री एवं सीपीआई(एम) पोलित ब्यूरो सदस्य

"ब्रिटिश शासन के दौरान मजदूर जो मजदूरी पा रहे थे, वो आज आपकी मजदूरी से कहीं अधिक अच्छी था। आपको पूरे विश्व को याद दिलाना होगा कि आज जो कुछ भी मजदूर, खेतिहर मजदूर या कृषकों को मिला है, जैसे बोनस या मजदूरी में वृद्धि, यह सब केवल उनके संघर्ष से ही प्राप्त हुआ है। तो आपके पास इसके अलावा कोई और रास्ता नही है कि अपने संगठन को मजबूत करो ताकि शासक वर्ग आपसे भयभीत हो।"

प्रकाश कारात : सीपीआई(एम) महासचिव

"यूपीए सरकार को समन्वित बाल विकास सेवा योजना (आईसीडीएस) को ठीक प्रकार से लागू करने के लिए प्रतिबद्धताएं और राजनैतिक इच्छा भी जतानी होगी। ये शर्म की बात है कि सामाजिक बदलाव के एजेंट अर्थात् आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सेविकाओं को न्यूनतम मजदूरी से भी कम वेतन का भुगतान किया जाता है।"

एम के पंधे : सीटू अध्यक्ष एवं सीपीआई(एम) पोलित ब्यूरो सदस्य

"आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का संघर्ष अपनी मजदूर के रूप में पहचान के लिए संघर्ष है। वे एक मजदूर की तरह मजदूरी तो करते हैं, परन्तु उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नही है, न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नही किया जाता, कोई लाभ प्राप्त नही है, और न ही वे औद्यौगिक विवाद कर सकते हैं, जोकि मजदूरों का अधिकार है।"

वृंदा कारात : संसद सदस्या एवं सीपीआई(एम) पोलित ब्यूरो सदस्या

"जब मैने संसद में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सेविकाओं का मुद्दा उठाया, सभी राजनैतिक दलों ने मांगों को समर्थन दिया। सरकार ने लिखित रूप में जवाब दिया कि मानदेय बढ़ाया जाएगा। मैने पत्र लौटा दिया और मांग की कि यूपीए सरकार को मानदेय बढ़ाने के लिए समय निर्धारित करना होगा।" □

एक आंदोलन की ताकत और संभावनाएं

□ ए आर सिंधु

"कामरेड क्या हुआ? हमारा साथ दें, वहां व्यवस्था में कुछ कमी आ गई है। हम बड़े टैंटों और दरियों की व्यवस्था कर रहे है। कुछ ही समय में बारिश बंद हो जाएगी और हम कुछ व्यवस्था कर लेंगें। कृपया जाइये मत।" वहां बहुत ही मूसलाधार वर्षा हो रही थी जिसके फलस्वरूप देश भर से आए हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ यह स्थिति थी। 25 जुलाई विराट क्रमिक भूख हड़ताल के प्रथम दिन कुछ इसी तरह से आंगनवाड़ी कर्मचारियों का स्वागत हुआ। कोटे से दुगुने प्रतिनिधियों के समाने के लिए टैंट काफी नही था। लगभग साठ प्रतिशत लोग उद्घाटन के पश्चात् आई वर्षा में भीगे थे। सभी वर्षा से बचने के लिए टैंट के नीचे स्थान ढूँढ रहे थे, परन्तु मांग के अनुसार जगह में बहुत कमी थी। मैने बिहार की एक साथी को देखा जोकि अपने साथियों को टैंट के भीतर से बाहर बुला रहीं थीं। मैने सोचा कि वे वहां से जाने की योजना बना रहे हैं, मै दौड़कर उनके पास गई और उनकी समस्या के बारे में पूछा? मेरे इस प्रश्न पर उन्होने आश्चर्यचकित होकर मुझे देखा और वर्षा में भीगते हुए मुस्कुराकर कहा कि "ओह कॉमरेड, मैं चाहती हूँ कि हम सभी यहां बारीश में भीगकर धरना दें, ताकि यह संसार भी देखे कि हम अपने संघर्ष में किसी बारीश और भीषण गर्मी की परवाह नही करते।"

यह था आंगनवाड़ी कर्मचारियों के अद्वितीय संघर्ष का उत्साह। इन सभी दस दिनों और रातों में यद्यपि चेहरे भिन्न –भिन्न थे, परन्तु उनके लक्ष्य को पाने की इच्छाशक्ति के भाव, उनका आत्मविश्वास और एकजुटता जोकि मजदूर वर्ग के अंदोलन में ही पाई जा सकती है, बिल्कुल एक जैसी ही थी। वे जंतर मंतर सड़क पर गीली दरियों पर बिना कुछ ओढें ऐसे ही सोये जैसे अपने घर पर हों। उन्होंने इस प्रकार गीत गाए और नाचे कि जैसे कि वे किसी त्यौहार या विवाह के जश्न में भाग ले रहे हों। तमिलनाडु और कर्नाटक के साथी एक नारे *साडे हक* पर एक आवाज में *एत्थे रख* पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे। पंजाबी साथी कर्नाटक के साथियों के साथ जोर जोर से *केम्फुवंदने* (लाल सलाम) बोल रहे थे और पांडिचेरी के *कुम्मी* नामक नष्त्य पर नृत्य कर रहे थे।

केवल भूख हड़तान में भाग लेने वाले ही नही बल्कि दिल्ली राज्य सीटू, जिसने सैंकड़ों कार्यक्रम आयोजित किए है, भी कुछ नया अनुभव कर रहे थे। यद्यपि सीटू की दिल्ली राज्य कमेटी इसकी कमजोर इकाई कही जाती है, परन्तु इस संघर्ष से उनकी साहस का दर्शन हुआ। केवल वॉलंटियर के लिए ही पांच सौ से अधिक *मैनडे* (12 घंटे तक कार्य) की आवश्यकता थी। दिल्ली राज्य महासचिव मोहनलाल, सचिव के पी राव पूरे दिन कार्य में व्यस्त रहते। छोटेलाल जोकि तीन रेलवे स्टेशनों के इंचार्ज थे,

वे भी अंत समय में शेड्यूल में होते बदलावों, प्रतिनिधियों के अधिक संख्या में आने के कारण रेलों की बढ़ती संख्या और रेलवे अधिकारियों के रेलों को बदलवाने को लेकर उत्पीड़न को झेलते हुए भी पूरी रात कार्यक्रम स्थल की देखरेख कर रहे थे। राम रतन कार्यक्रम स्थल और रहने के स्थानों पर पानी और सैनिटेशन की पूर्ति करने के लिए एक न थकने वाली मशीन की तरह कार्य कर रहे थे। आशालता के नेतृत्व में जनवादी महिला समिति के सदस्य इस कार्यक्रम तथा कार्यक्रम के अंतिम तीन दिवसों में महिला आरक्षण विधेयक को पास कराने की मांग करते हुए अखिल भारतीय धरने की भी देखरेख कर रहे थे। दिल्ली राज्य आंगनवाड़ी यूनियन की नेता कमला और रूपा जिनमें अखिल भारतीय आंगनवाड़ी फैडरेशन की ऑफिस सैक्रेटरी अन्जु शामिल है पर भी दिल्ली आंगनवाड़ी कर्मचारियों के बीच पैदा होते उत्साह का प्रभाव पड़ रहा था और वे बहुत ही उत्साहित थे। रंजना निरूला जिन्हें प्रतिनिधियों के रहने की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, सुनामी, (जैसा कि आंगनवाड़ी कर्मचारियों के अधिक संख्या में आने के कारण एक वॉलंटियर ने उन्हें सुनामी की संज्ञा दी) के लिए सैंकडों के स्थान पर हजारों लोगों के रहने के लिए स्थान ढूंढने का प्रयत्न कर रहीं थीं। वे कार्यक्रम स्थल के लिए वस्तुएं उपलब्ध कराने में भी वालंटियरों की सहायता कर रहीं थीं तथा रेलवे स्टेशन के कार्यों में भी सहयोग दे रहीं थीं। डीएमएसआरए, मित्रा, विनोद मानी और डॉ ज़रीना के नेतृत्व में मैडिकल कैम्प बहुत ही अच्छी तरह से कार्य कर रहा था। अर्धरात्रि के समय हमें रेलवे स्टेशन से भागीदारों के फोन आए कि रेलवे प्राधिकरण एवं पुलिस द्वारा उनका उत्पीड़न किया गया, कुछ लोग दिल्ली दर्शन के दौरान लौटते समय खो गए। कुछ वालंटियर ट्राजनस की तरह कार्य कर रहे थे। यह कार्यक्रम उनके प्रयत्नों के बिना सफल नही हो सकता था। सांसद और सीटू सचिव तपन सेन वॉलंटियर बैठक से लेकर पुलिस और रेलवे प्राधिकरण को फोन करने, कठिनाइयों को सुलझाने की सहायता से लेकर संसद में मुद्दा उठाने तक और प्रधान मंत्री से एपांयटमेंट लेने तक के सभी कार्यों में शामिल थे। इस संघर्ष के इंचार्ज डब्ल्यू आर वरद राजन और दीपांकर मुखर्जी तथा कनाई बैनर्जी, सभी सीटू सचिव प्रत्येक दिन कार्यक्रम स्थल पर आते और भाषण देकर भूख हड़तालियों को संबोधित करते। सभी सीटू सचिव और सीटू केंद्र का स्टाफ विभिन्न प्रकार से संघर्ष में सहायता कर रहे थे। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और अन्य उत्तरी भारत के राज्यों के सीटू नेता तथा पंजाब हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के आइफा नेता, संघर्ष में केंद्र की सहायता कर रहे थे। आइफा की अध्यक्षा नीलिमा मैत्रा की उनके अतुलनीय दिशा निर्देश और सहायता के कारण पूरे धरने में प्रभावजनक उपस्थिति थीं।

दिल्ली सीटू की विभिन्न यूनियनों तथा अन्य साथी ट्रेड यूनियनों ने अपनी समर्थन जताया, कुछ जुलूस में आए और भागीदारों को संबोधित किया, और बहुत सी यूनियनों ने संघर्ष फंड में अर्थिक रूप से भी मदद की। इसी बीच एडवा के नेतृत्व में महिला संगठनों ने महिला आरक्षण विधेयक की मांग उठाई जोकि 2 से 4 अगस्त 2006 को संसद सड़क पर धरना दे रहे थे। पूरे भारत से एडवा के नेता विराट क्रमिक भूख हड़ताल में आंगनवाड़ी कर्मचारियों को बधाई देने पहुँचे। भारत के महिला आंदोलन की नेता, सी पी आई एम पोलित ब्यूरों की सदस्या और सांसद वृंदा कारात संसद में मुद्दा उठाने के पश्चात् सीधे भूख हड़ताल में पहुंची और आंगनवाड़ी कर्मचारियों को संबोधित किया जिससे कि वे बहुत ही उत्साहित हुए। पूरे देश से एडवा के नेता जिनमें अध्यक्ष सुभाषिणी अली, महासचिव सुधा सुंदररमन, संध्या शैली, किरण मोघे इत्यादी शामिल हैं, ने संघर्ष को संबोधित किया। संघर्ष को बहुत आत्मविश्वास मिला जब राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या मालिनी भट्टाचार्या ने भागीदारों को बधाई दी और संघर्ष में राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से पूरा समर्थन देने का भरोसा दिलाया। रेखाकिंत किया जाता है कि डा0 जयति घोष ने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि वे महिला मजदूरों के इस उत्साह से बहुत उत्साहित हैं।

संघर्ष के अंतिम दिवस में सीताराम येचुरी के संबोधन पश्चात् 33 प्रतिशत आरक्षण में शामिल होने के लिए संसद सड़क तक सभी भागीदारों ने फैडरेशन के झंडे तले एक जुलूस में मार्च किया। दो हजार महिलाओं का मार्च महिला अधिकारों के नारे लगाते हुए, उन्हें उनकी महिला शक्ति और मजदूरों की ताकत उपलब्ध कराते हुए शामिल हुए और दोनों समूहों ने बहुत उत्साह का प्रदर्शन किया। संघर्ष का समापन प्रधानमंत्री के एक्स ग्रेशिया के साथ सामाजिक सुरक्षा लाभ पर ध्यानपूर्वक विचार करने का भरोसा पाने के बाद ही हुआ।

फैडरेशन, जिसका बजट में घोषित हुए बढे हुए मानदेय को पाने के लिए एक वर्ष से भी अधिक समय तक संघर्ष करने का इतिहास है, ने 14 दिसम्बर की ट्रेड यूनियन हड़ताल को सफल बनाने के लिए उसमें भाग लेने का निर्णय लिया। संघर्षों में *कमजोर उत्तरी भारत* इस सामान्य कहावत को तोड़कर बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, हिमाचल प्रदेश और यहां तक कि गुजरात भी जहां यूनियन को कार्य आरम्भ किए अभी दो माह ही हुए हैं, से भागीदारों को देखकर संगठनकर्ता भी आश्चर्यचकित थे। इस क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली साम्राज्यवादी विश्वीकरण की नीतियां, मजदूरों का विरोध मजदूर वर्ग को तोड़ने का लक्ष्य लिए उस दिन के आदेश थे। सरकार खुले तौर पर पुलिस के साथ मालिकों के लाभों में शामिल होकर मालिकों का साथ दे रही थी। इस संघर्ष ने हमेशा की तरह जनता के बढ़ते हुए विरोध और पूरे उत्तरी भारत क्षेत्र में सीटू के बढ़ते हुए गर्व के सुनहरे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। जिस दिशा में भारतीय राजनीति चल रही है, वे बिल्कुल साफ हैं।

इस संघर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि इससे भारत के मजदूर वर्ग आंदोलन की ताकत का दर्शन हुआ है। □

ट्रेड यूनियन नेताओं से प्रधान मंत्री की बैठक:

यूनियनों द्वारा यूपीए सरकार की श्रम नीतियों की कड़ी आलोचना

□ डब्ल्यू आर वरद राजन

प्रधान मंत्री डाक्टर मनमोहन सिंह ने 19 अगस्त, 2006 को केन्द्रीय श्रमिक संगठनों के नेताओं को आपसी बातचीत के लिए बुलाया। हो सकता है कि उन्होंने यह पहलकदमी देश के श्रमिक वर्ग में पनप रहे असंतोष को भांप कर की हो। श्रमिक नेताओं ने उनकी पहलकदमी का स्वागत किया और अपनी ओर से एक संयुक्त पत्र भेज कर उनसे कहा कि इस बैठक में वे निम्नलिखित मुद्दों पर विचार करना चाहेंगे (इंटक ने अलग-से पत्र भेजा और उसमें कुछ अन्य मुद्दे जोड़ डाले)।

- श्रम कानूनों की घोर उल्लंघन की कार्रवाईयों को रोकने का प्रश्न और विभिन्न श्रम कानूनों के अन्तर्गत कानून लागू करने वाले सरकारी तंत्र को मजबूत बनाना। आईएलओ कन्वेंशनों की पुष्टि।
- विभिन्न अदालती फैसलों जिनमें हड़ताल करने के अधिकार पर उच्चतम न्यायालय की ओर से दिया गया फैसला भी शामिल है, की समीक्षा करना और इन फैसलों के चलते श्रम अधिकारों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को समाप्त करने की कार्रवाई करना।
- खेतिहर श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिए अलग-से सर्वसमावेशी कानून बनाना।
- असंगठित क्षेत्र सम्बन्धी विधेयक को अंतिम रूप देना ताकि उसे संसद में तत्काल पेश किया जा सके और उसमें केन्द्रीय श्रमिक संगठनों द्वारा सर्वसम्मति से दिए गए सुझावों को शामिल करना।
- सभी श्रमिकों को बोनस मिले, इसे यकीनी बनाया जाए और बोनस अधिनियम में भुगतान की सीमा समाप्त करने का प्रश्न।
- ईपीएफ, जीपीएफ, पीपीएफ, सीएमपीएफ तथा लघु बचतों पर ब्याज दर कम करने जैसे कदम उठा कर सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं में कमी लाने की कार्रवाईयां बंद करना; कर्मचारी पेन्शन योजना के अन्तर्गत लाभ के पैकेज को कम करने की कार्रवाई; सामाजिक सुरक्षा का निजीकरण; सावधि लाभों पर करों में दी जाने वाली छूट वापस लेने जैसे कदमों की रोकथाम के लिए तत्काल कार्रवाई करने का प्रश्न।
- मूल्य सूचकांक के निर्धारण की दोषपूर्ण प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए सूचकांक समीक्षा समिति का गठन करने का प्रश्न। उस समय तक सूचकांक की 2001 श्रृंखला का प्रकाशन स्थगित कर दिया जाए और 1982 की श्रृंखला को जारी रखा जाए।

प्रधान मंत्री के साथ बातचीत में सीआइटीयू का प्रतिनिधित्व उसके अध्यक्ष एम के पन्धे तथा सचिव डब्ल्यू आर वरद राजन ने किया।

सीआइटीयू का दृष्टिकोण

एम के पन्धे ने सीआइटीयू का दृष्टिकोण पेश करते समय कहा कि यूपीए सरकार संयुक्त राष्ट्रीय न्यूनतम कार्यक्रम में श्रमिकों के लिए दिए गए अपने आश्वासनों को पूरा नहीं कर रही है। इसके विपरीत उस कार्यक्रम की ही अवहेलना की जा रही है। कार्यक्रम में साफ तौर पर कहा गया था कि श्रमिक संघों के साथ विचार विमर्श किए बिना औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा किन्तु श्रम मंत्रालय एक तरफा तौर पर इस अधिनियम में सेवायोजकों के पक्ष में नए सुझाव जोड़ने की पहलकदमी कर रहा है।

सरकार ने अभी तक खेतिहर श्रमिकों और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लाभ के लिए सर्वसमावेशी कानून बनाने की दिशा में कोई सार्थक कार्रवाई नहीं की है। यह आश्वासन दिया गया था कि लाभ पर चलने वाले सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण नहीं किया जाएगा किन्तु इस आश्वासन की धज्जियां कई बार उड़ाई जा चुकी हैं। यूपीए सरकार के मंत्री खुल्लम खुल्ला 'हायर एण्ड फॉयर' की नीतियां लागू करने की वकालत कर रहे हैं।

प्रधान मंत्री ने बार-बार कहा है कि सामाजिक जंनतंत्र में हमारे कामकाज का श्रमिक संघ एक अभिन्न अंग हैं किन्तु इस पर भी श्रमिक संघों के साथ श्रमिकों के हितों से जुड़े मामलों में भी बातचीत नहीं की जाती। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा पर विचार करने के लिए जो आयोग बनाया गया है, उसमें श्रमिक संघों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। योजना आयोग ने 11 वीं पंच वर्षीय योजना के संदर्भ में श्रम मामलों पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया था; उस समिति के 40 से अधिक सदस्यों में श्रमिक संघों का केवल एक प्रतिनिधि है।

डब्ल्यू आर वरद राजन ने कहा कि ईपीएफ, लघु बचतों पर ब्याज की दर कम करने के लिए अनेक आर्थिक कारण गिनाए जाते हैं और इसके पक्ष में हर तरह का तर्क दिया जाता है; किन्तु अब जबकि अर्थव्यवस्था में ब्याज की दरें फिर से बढ़ने लगी हैं, इन तर्कों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इन ब्याज दरों को शोचनीय सीमा तक कम रखना अनुचित है। उन्होंने सरकार से मांग की कि सामाजिक जमा योजनाओं में और निवेश की अनुमति दी जाए और मूल्य सूचकांक में आने वाले उछाल का लाभ श्रमिकों को मिले, इसे यकीनी बनाया जाए। उन्होंने निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था लागू करने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग भी की।

एटक, बीएमएस, एमएमएस, इंटक, यूटीयूसी-एलएस, यूटीयूसी तथा एनएफआइटीयू का प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं ने भी श्रमिक संघों की मांगों के पक्ष में जोरदार तर्क दिए।

श्रम कानूनों का उल्लंघन

देश भर में श्रम कानूनों के उल्लंघन की अनेक घटनाएं घट रही हैं। सरकार की ओर से अधिसूचित न्यूनतम वेतन नहीं दिए जाते। इस मामले में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की स्थिति बेहद खराब है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी स्थिति अच्छी नहीं है।

संविदा श्रम (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम और कानूनों की धज्जियां उड़ाना आम बात बन चुकी है। "सभी स्थायी तथा स्थायी प्रकृति के कामों में संविदा श्रमिकों को लगाना" इस समय का कड़वा सत्य है। सार्वजनिक क्षेत्र, केन्द्रीय एवं राज्य सरकारी विभागों सहित सभी उद्योगों में यह काम धूम धड़ाके से किया जा रहा है। काम छोड़ चुके श्रमिकों को सावधि लाभ नहीं दिए जाते और भविष्य निधि के लिए उनकी आय में से काटे गए अंशदान सेवा निवस्त्त हो जाने और काम से निकाल बाहर कर दिए जाने पर भी उनके तथा उनके परिवारों तक नहीं पहुंचता क्योंकि मालिक लोग अपने हिस्से का अंशदान जमा ही नहीं कराते।

ईपीज़ैड, एसईज़ैड तथा एमआइआर इत्यादि में किसी कानून का शासन नहीं है। श्रम कानूनों तथा समाज कल्याण के कानूनों को लागू करने और इसका निरीक्षण करने वाले अधिकारी वहां जा नहीं सकते। यह बात भारतीय श्रम सम्मेलन के सत्रों में बार–बार उठाई जाती है। सेवायोजकों एवं प्रबंधन द्वारा ट्रेड यूनियन बनाने की कोशिश करने वाले श्रमिकों को गैर कानूनी ढंग से डराया–धमकाया जाता है और उनके नेताओं के खिलाफ प्रतिशोध की कार्रवाईयां की जाती हैं। भारतीय श्रम सम्मेलन की कार्रवाई पुस्तिका में दर्ज है कि श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों को श्रम विभाग के अधिकारियों के साथ ईपीज़ैड में प्रवेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए, पर इसकी परवाह कौन करता है। आइएलओ ने सुझाव दिया था कि ईपीज़ैड के विकास आयुक्तों को औद्योगिक विवादों में दखल नहीं देना चाहिए पर इस सुझाव पर भी अमल नहीं किया गया।

विभिन्न राज्यों में अनेक छोटी एवं मंझौली औद्योगिक इकाईयों में व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य से जुड़ी बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं किया जाता। इसके परिणामस्वरूप इन इकाईयों में गम्भीर हादसे अकसर होते रहते हैं और इनके समाचार आए दिन समाचार पत्रों में देखने को मिलते हैं। इन कारखानों और इकाईयों की कामकाजी स्थितियां वही हैं जो 19वीं शताब्दी में मिठाई की दुकानों में हुआ करती थीं।

बड़े–बड़े दावे किए जाते हैं पर बाल मजदूरी आज भी बदस्तूर जारी है। अनौपचारिक क्षेत्र में तो यह और भी बढ़ चुकी है।

'लेबर इंस्पेक्टर की ओर से निरीक्षण करने के काम' को सेवा योजक न केवल अपराध बल्कि औद्योगिक सम्बन्धों के लिए खतरा मानते हैं; उनके अनुसार इसका स्वागत नहीं किया जाना चाहिए। वे निरीक्षण का मजाक उड़ाते हैं और इसे 'उत्पादन' एवं 'प्रतिस्पर्धा' के मार्ग की एक बड़ी बाधा मानते हैं। वे कहते हैं, 'इंस्पेक्टर राज खत्म कर देना चाहिए और कारखाने में सब काम ठीक ढंग से हो रहा है, इसका प्रमाण पत्र देने का अधिकार सेवायोजक को दे देना चाहिए।' इसके चलते विभिन्न श्रम कानूनों को लागू करने वाला तंत्र धाराशायी हो गया है। जब तक इस बुनियादी सोच में बदलाव नहीं लाया जाता तब तक कानून लागू करने वाला सरकारी तंत्र बिना किसी भय के अपना काम नहीं कर सकेगा। पहले ही यह सरकारी तंत्र पर्याप्त संख्या में नहीं है, ऊपर से भ्रष्टाचार, इस तरह अनेक राज्यों में स्थिति काफी शोचनीय बन चुकी है। ऊपर से नीचे तक इस स्थिति में सुधार लाने के लिए ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है।

अदालती फैसले

हाल ही के वर्षो में उच्चतम न्यायालय सहित राज्यों के विभिन्न उच्च न्यायालयों की ओर से दिए गए अनेक फैसले न केवल श्रमिकों तथा मेहनतकश अवाम के हितों पर कुठाराघात करने वाले हैं अपितु उन्होंने कड़ा संघर्ष करके जो अधिकार हासिल किए थे, उन फैसलों के चलते वे भी छिन जाने वाले हैं। सामूहिक सौदेबाजी को द्विपक्षीय समझौते के अन्तर्गत सार्वभौमिक मान्यता मिली है। पहले बातचीत करो और यदि उसमें सफलता नहीं मिलती है तो संघर्ष करों जिसमें हड़ताल करना भी शामिल है। उच्चतम न्यायालय ने 2004 में तमिलनाडु के शिक्षकों एवं राज्य सरकारी कर्मचारियों के मामले में फैसला देते हुए उनके 'हड़ताल करने के अधिकार' को समाप्त कर डाला था। अन्याय का सामना करने के लिए सामूहिक विरोध करने सहित यह सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार पर सीधा हमला है। श्रमिक संघों द्वारा सरकार से बार–बार मांग की जाती रही है कि वह अदालत के श्रमिक विरोधी फैसलों के दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए दखल दे, किन्तु सरकार की ओर से अभी तक इस दिशा में कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

खेतिहर श्रमिक एवं असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक

सरकार की नीति (एनसीएमपी के अन्तर्गत) साफ–साफ कहती है, "संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन प्रशासन कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी कानूनों का पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा। सभी कृषि कामगारों के लिए एक व्यापक सुरक्षा कानून बनाए जाएंगे।" एनसीएमपी में आगे कहा गया है, "बुनकरों, हथकरघा कामगारों, मछुआरों, ताड़ी निकालने वाले लोगों (Toddy Tappers), चमड़े का काम करने वाले लोगों, वनरोपण मजदूरों, बीड़ी कामगारों आदि जैसे कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा और अन्य स्कीमों का विस्तार किया जाएगा।"

ग्रामीण श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय आयोग ने एक व्यापक कानून बनाने की सिफारिश की थी, पंद्रह वर्ष से भी अधिक समय बीत जाने पर भी यह मामला लटक रहा है। सभी केन्द्रीय श्रमिक संगठनों ने 10 नवम्बर, 2004 को एक बार फिर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों से सम्बन्धित विधेयक तथा असंगठित क्षेत्र श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा की समीक्षा के लिए एक सामान्य समझ बनाई थी जो इस प्रकार है:

> श्रम मंत्रालय ने विधेयक के प्रस्तावित प्रारूप में सुधार लाने के लिए जो सुझाव दिए थे, वे केन्द्रीय श्रमिक संगठनों की ओर से व्यक्त की गई चिंताओं के अनुरूप कोई न्याय नहीं करते इसके साथ ही साथ प्रारूप तैयार करते समय श्रमिक संगठनों की ओर से दिए गए सुझावों पर विचार नहीं किया गया। ये सुझाव श्रमिक संगठनों ने संयुक्त रूप से अथवा अलग–अलग भेजे थे।

> श्रमिकों का अंशदान उनके वेतनों की प्रतिशतता के रूप में नहीं हो सकता।

> सरकार का अंशदान जीडीपी के 3 प्रतिशत के बराबर हो और उसमें वार्षिक वश्द्धि की जाए।

> इस कानून के अन्तर्गत गठित बोर्डो के प्रशासकीय व्यय पांच वर्ष की पहली अवधि के लिए भारत सरकार द्वारा वहन किए जाएं। इसकी बाद में समीक्षा की जा सकती है।

> असंगठित क्षेत्र श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा अपने मौजूदा स्वरूप में उपलब्ध नहीं कराई जा सकती और इसे फिर से बनाया जाए। भारत सरकार की ओर से इसके लिए उपयुक्त कानूनी सहायता दी जाए तथा पर्याप्त धन का

आबंटन किया जाए।

इस प्रश्न पर त्रिपक्षीय मंचों और उसके साथ–साथ राष्ट्रीय श्रमिक संगठनों एवं श्रम मंत्रालय के बीच अनेक बार विचार विमर्श हो चुका है, किन्तु इन दो महत्त्वपूर्ण कानूनों पर सरकार की ओर से आवश्यक निदेश जारी नहीं किए गए हैं। यह मामला काफी समय से लम्बित पड़ा है।

सबके लिए बोनस

यह भी श्रमिक वर्ग की एक और महत्त्वपूर्ण मांग है। बोनस भुगतान अधिनियम के मौजूदा प्रावधान पुराने हो चुके हैं। विशेष तौर पर बोनस की दर के निर्धारण एवं कर्मचारियों को इस अधिनियम के दायरे में लाने से सम्बन्धित प्रावधान आज की स्थितियों के अनुकूल नहीं हैं। इसलिए यह मांग अनेक वर्षों से लम्बित पड़ी है। जिस समय यह अधिनियम बनाया गया था उस समय अनेक कारखानों में उप महाप्रबंधक सहित लगभग सभी कर्मचारियों को बोनस दिया जाता था। इस समय अधिकांश उपक्रमों में अकुशल श्रमिकों को भी बोनस नहीं दिया जाता। 'सबके लिए बोनस' श्रमिक वर्ग की न्यायोचित मांग है क्योंकि बोनस को 'विलम्बित वेतन' माना जाता है।

उपरोक्त स्थिति में क्योंकि बोनस के प्रावधान पुराने पड़ चुके हैं इसलिए बोनस का भुगतान दूसरे नामों एवं रूपों में किया जाना चाहिए।

बोनस अधिनियम आज से चालीस वर्ष पूर्व पारित किया गया था। उसके बाद अनेक तबदीलियां हो चुकी हैं; उस सब पर विचार करके बोनस भुगतान के अन्तर्गत निश्चित की गई सीमा और उसके साथ–साथ न्यूनतम देय राशि का फिर से निर्धारण किया जाना चाहिए।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

सरकार ने 2001 को आधार वर्ष मान कर औद्योगिक श्रमिकों के लिए नए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी कर दिया है। इसे जारी करने से पहले उसने केन्द्रीय श्रमिक संगठनों के साथ जरूरी विचार विमर्श भी नहीं किया। हमने श्रम ब्यूरो, शिमला की ओर से आयोजित 'सूचकांक उपयोक्ताओं' की बैठक, श्रम मंत्रालय द्वारा आयोजित विचार विमर्श के समय और तकनीकी सलाहकार समिति अर्थात् सभी मंचों पर बार–बार अपनी आपत्तियां लिखित रूप में भेजी थीं इस पर सरकार ने मनमानी कार्रवाई करते हुए यह सूचकांक जारी कर दिया।

देश भर के श्रमिकों का इस मामले में अनुभव कैसा है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तो स्थिर रहता है और किन्तु सभी उपभोक्ता वस्तुओं खास तौर पर खाद्य पदार्थों के मूल्य आसमान को छूने लग जाते हैं। अनेक केन्द्रों में एक ही अवधि में तैयार की गई 1982 और उसके साथ–साथ 2001 की श्रश्ंखला का अध्ययन करने से पता चला है कि 2001 की श्रश्ंखला दोषपूर्ण है। यह श्रश्ंखला जारी करके श्रमिकों के साथ अन्याय किया गया है। नयी श्रश्ंखला जारी होने के दुष्परिणामस्वरूप वे महंगाई भत्ते के हजारों रुपए से वंचित हो गए हैं जिसके लिए वे कानूनी तौर पर हकदार थे।

उपभोक्ता बास्कट, बाजार से मूल्यों की सूचनाएं एकत्रित करने, परिवार के आकार को विचाराधीन लाया गया है। इस मामले में उपभोक्ता वस्तुओं पर अधिक बल दिया गया; परिवार के बजट का सर्वेक्षण पूरी तरह दोषपूर्ण था। इसके फलस्वरूप पूरे का पूरा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दोषपूर्ण बन गया है। श्रमिकों के लिए नुकसानदेह तो है ही। मूल्यों के असल सूचकांक से इसका कोई लेना देना नहीं है।

अतीत का अनुभव भी कुछ इसी तरह का रहा था। जब एक समीक्षा समिति ने इसकी जांच की थी तो 'सूचकांक की धोखाधड़ी' का पता चला था। इस तरह के दोषपूर्ण और श्रमिकों के लिए नुकसानदेह मूल्य सूचकांकों में सुधार लाने के लिए सूचकांक समीक्षा समिति का गठन किए जाने की जरूरत है। यह श्रमिक संघों की एक सोची समझी राय है। इस बीच सूचकांक की 2001 की श्रश्ंखला का प्रकाशन तत्काल रोक देना चाहिए और 1982 की पहली श्रश्ंखला को जारी रखा जाए।

प्रधान मंत्री का उत्तर

प्रधान मंत्री ने धैर्य के साथ श्रमिक नेताओं की बात सुनी। उन्होंने बातचीत करने के बाद कुछेक घोषणाएं कीं जिनमें से कुछ घोषणाएं इस प्रकार हैं:

प्रधान मंत्री ने कहा, "श्रम कानूनों और उनके साथ–साथ देश के सभी कानूनों को लागू किया जाना चाहिए।" उन्होंने आश्वासन दिया कि श्रम कानूनों को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के बारे में वे सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखेंगे और राष्ट्रीय विकास परिषद की अगली बैठक में भी यह प्रश्न उठाया जाएगा।

सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों के कर्मचारियों के पिछले वेतन बकायों का भुगतान करने के लिए सरकार पूजा से पहले 300 करोड़ रुपए की राशि जारी करेगी। प्रधान मंत्री ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि बोनस भुगतान अधिनियम में बोनस की सीमा एक दशक पहले निर्धारित की गई थी। उन्होंने कहा, "हम इस पर जल्द ही मंत्रिमण्डल में विचार करेंगे।" क्या हमारी मूल्य सूचकांक श्रश्ंखला में कोई दोष अथवा त्रुटि है, इस पर प्रधान मंत्री का कहना था, "मैं देखूंगा कि सूचकांक समीक्षा समिति का गठन शीघ्र किया जाए।"

असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों और खेतिहर श्रमिकों के बारे में प्रधान मंत्री ने कहा, "असल में हमारे पास अनेक सूत्रों द्वारा भेजे गए सुझावों के प्रारूप हैं; हम इसमें कितनी रुचि ले रहे हैं, यह इसी से पता चल जाता है।" उन्होंने वादा किया कि "सामाजिक सुरक्षा योजना के प्रत्येक भाग की विस्तश्त समीक्षा की जाएगी।"

प्रधान मंत्री ने अधिक रोजगारों का सश्जन करने, अधिक आय, कामगारों के लिए बेहतर कामकाजी स्थितियों, बेहतर सामाजिक सुरक्षा प्रणाली तथा श्रम कानूनों के बेहतर पालन की जरूरत का उल्लेख करते हुए आश्वासन दिया कि "सभी सम्बन्धित पक्षों पर आधारित एक कामकाजी दल का गठन किया जाएगा; यह दल सुझाव देगा कि इन सभी मुद्दों पर आगे की कार्रवाई कैसे की जाए।" तथापि प्रधान मंत्री ने यह नहीं बताया कि इन आश्वासनों को लागू करने में कितना समय लग जाएगा।

सीआइटीयू ने प्रधान मंत्री से मांग की थी कि बैठक में उठाए गए मुद्दों पर अमल की सम्भावनाओं को देखने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए। सीआइटीयू ने सभी श्रमिक संघों को आह्वान किया है कि वे एकजुट होकर यूपीए सरकार पर उपयुक्त दबाव डालें और उसे श्रमिकों के प्रति अपनी नीतियों में बदलाव लाने के लिए मजबूर कर दें। □

करनाल में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की जीत

श्रीमति मलकीत कौर जोकि गांव बीड़ रैयतखाना, इन्द्री ब्लॉक, जिला करनाल, हरियाणा के आंगनवाड़ी केंद्र पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में वर्ष 2001 से 15 अगस्त 2005 तक अपना कार्य लगातार पूरी इमानदारी व निष्ठा व लगन से कर रही है। किन्ही अन्य लोगों के बीच जमीनी विवाद (मलकीत कौर का जेठ व अन्य के बीच) 16 अगस्त 2005 को ग्राम पंचायत पंच एवं 19 अन्य गांव की औरतों ने महिला व बाल विकास विभाग की कार्यक्रम अधिकारी को झूठे शपथ पत्र दिए कि वह आंगनवाड़ी केंद्र में आने वाले बच्चों को जहर देकर मार देगी। क्योंकि पंचायत व अन्य ये चाहते थे कि मलकीत कौर यह लिखकर दे कि उसके जेठ का जमीन से कोई लेन देन नही है उसने ऐसा करने से मना कर दिया कि मेरा जमीन से कोई लेना देना नही है।

श्रीमति मलकीत कौर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व अन्य 27 महिलाओं ने भी शपथ पत्र देकर कार्यक्रम अधिकारी, करनाल को बताया कि उसने ऐसा कोई शब्द नही कहा। दिनांक 25 अगस्त 2006 को कार्यक्रम अधिकारी करनाल ने पुलिस चौकी भादसो को इसकी जांचकर रिपोर्ट सौंपने को कहा। पुलिस ने जांच करके विभाग को बताया कि मलकीत कौर के खिलाफ कोई सबूत/प्रमाण नही मिला है, वह बेकसूर है। परन्तु गांव की स्वयंभू पंचायत के दबाव में आकर कार्यक्रम अधिकरी ने 1 सितम्बर 2005 को श्रीमति मलकीत कौर को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर कार्य करने से रोककर उसका चार्ज छीन लिया तथा निकटतम गांव की अन्य कार्यकर्ता से इस केंद्र को चलवाना शुरू कर दिया। इस दौरान कार्यक्रम अधिकारी मलकीत कौर से जबरन अवकाश लिखवाती रही। 8 माह तक उसे घर बैठाकर रखा, जिससे कायकर्ता को 9600रू की आर्थिक व सामाजिक प्रतिष्ठा की हानि हुई। मई 2006 में निदेशक महिला व बाल विकास विभाग हरियाणा के आदेशानुसार श्रीमति मलकीत कौर को साथ के गांव में उसकी पंचायत की सहमति से 3 माह तक कार्यभार दे दिया गया और रेतखाना की आंगनवाड़ी वर्कर को मलकीत कौर के आंगनवाड़ी केंद्र का कार्य करने को कहा गया। 3 माह तक भी इस कार्यकर्ता की ओर से गांव की पंचायत को परेशानी नही हुई और उस गांव के सरपंच ने यह प्रमाण पत्र दिया कि मलकीत कौर एक अच्छी कार्यकर्ता है और इस गांव में कार्य करते हुए किसी भी व्यक्ति या अन्य ग्रामवासियों को इस कार्यकर्ता से कोई शिकायत नही है। इसका चार्ज इसे दे दिया जाए।

जुलाई 2006 को आंगनवाड़ी यूनियन एवं सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जिला करनाल के ध्यान में यह केस लाया गया। जिला कमेटी ने इस मामले को काफी गम्भीरता से लेते हुए 27 जुलाई 2006 को ओम प्रकाश सिहमार जिला प्रधान के नेतृत्व में 26 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल जिसमें जिला सचिव सतपाल सैनी, रेखा, मधु शर्मा, परमजीत कौर, पाल कृष्ण सैनी आदी गांव की पंचायत से मिलने गांव बीड़ रैतखाना पहुचे। परन्तु वहां की पंचायत का नजरिया पूर्ण रूप से सामंतवादी था तथा वे कार्यकर्ता को किसी भी रूप में गांव में नौकरी पर नही रहने देना चाहते थे। उसी समय कार्यक्रम अधिकारी, करनाल से बैठक करके मामले की जानकारी ली। कार्यक्रम अधिकारी ने संघ की जिला कमेटी को बताया कि यह कार्यकर्ता अपना कार्य ठीक प्रकार से करती है तथा विभाग को कोई शिकायत नही है, परन्तु गांव की पंचायत मामले में रोड़ा बनी रही। गांव से वापिस आकर संघ की जिला कमेटी ने आंगनवाड़ी वर्कर यूनियन के साथ मिलकर सीडीपीओ इन्द्री के खिलाफ 7 सितम्बर को प्रदर्शन करने की घोषणा की तथा कार्यक्रम अधिकारी, करनाल के खिलाफ 26 सितम्बर को विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा कर दी तथा साथ ही सीटू राज्य कमेटी से तालमेल कर पीओ करनाल से मिलने का कार्यक्रम बनाया। इसी दौरान संघ के दबाव में सीडीपीओ इन्द्री का तबादला हो गया और नई कार्यक्रम अधिकारी ने चार्ज सम्भाल लिया। जब संघ व सीटू के प्रतिनिधिमंडल ने कार्यक्रम अधिकारी से मुलाकात की तो कार्यक्रम अधिकारी करनाल ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि वह वर्कर के साथ न्याय करेंगी। 7 सितम्बर को संघ के कायकर्ता सीडीपीओ इन्द्री के कार्यालय पर प्रदर्शन किया। सीडीपीओ इन्द्री ने संघ की टीम को आश्वासन दिया कि वह वर्कर को पुनः कार्यभार देने का भरसक प्रयास करेंगी। परन्तु 11 अगस्त 2006 को उसने 3 माह पूरे होने पर मलकीत कौर से फिर चार्ज छीन लिया । संघ की जिला कमेटी ने पुनः पीओ इन्द्री व पीओ करनाल पर आंदोलन के लिए दबाव बनाया। राज्य आंगनवाड़ी यूनियन, विभाग निदेशक से 20 सितम्बर को हुई बातचीत में भी मुद्दा उठाया उनके आश्वासन तथा आंदोलन के दबाव में आकर मलकीत कौर को 22 सितम्बर को कार्यभार सौंप दिया गया ।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका यूनियन राजस्थान की बैठक

जयपुरः आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका यूनियन की संयोजन समिति की बैठक यहां 27 अगस्त, 2006 को हुई। बैठक की अध्यक्षता श्रीमती मंजु शर्मा तथा श्रीमती चन्द्रावती दुल्लड़ ने की। सीआइटीयू की राजस्थान राज्य समिति के सचिव हजारी लाल शर्मा ने 25 जुलाई से 4 अगस्त तक नयी दिल्ली में संसद के समक्ष आयोजित क्रमिक भूख हड़ताल तथा संघर्ष के आगामी कार्यक्रम पर विस्तार में प्रकाश डाला। आगामी सम्मेलन तक यूनियन का काम चलाने के लिए सर्वसम्मति से संचालन समिति का चुनाव किया गया जिसके अनुसार शकुन्तला शर्मा अध्यक्ष; सर्वसाथी श्यामा शर्मा, गीता गोदारा, चन्द्रावती दुल्लड़, मंजू जैन उपाध्यक्ष; मंजू शर्मा महासचिव तथा कांता शर्मा कोषाध्यक्ष चुनी गई। बैठक में संघर्ष के भावी कार्यक्रम का निर्धारण किया गया जिसके अनुसार अक्टूबर के अंत तक जिला एवं परियोजना स्तर पर आंगनवाड़ी कर्मचारियों की मांगों को लेकर धरने दिए जाएंगे और नवम्बर के अंत में जयपुर में राज्य स्तरीय धरना दिया जाएगा। बैठक का समापन करते हुए सीआइटीयू की राज्य समिति के महासचिव कामरेड रवीन्द्र शुक्ला ने एकता-संगठन-संघर्ष पर बल देते हुए आंगनवाड़ी कर्मचारियों के संगठन के निर्माण में सीआइटीयू की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।

अखिल भारतीय कामकाजी महिला समन्वय समिति (सीटू) की बैठक

अखिल भारतीय कामकाजी महिला समन्वय समिति (सीटू) की बैठक 26 से 27 अगस्त, एरनाकुलम, केरल में हुई। 14 दिसम्बर की आम हड़ताल का आहवान औद्योगिक फेडरेशनों और ट्रेड यूनियनों की स्पोंसरिंग कमेटी के राष्ट्रीय सम्मेलन में किया गया था, उसी के अनुरूप बैठक में देश की सभी कामकाजी महिलाओं का 14 दिसम्बर की आम हड़ताल में भाग लेने के लिए आहवान किया। इसका आहवान राज्य कामकाजी महिलाओं की समन्वय समिति ने तथा सीटू से संबंधित यूनियनों की कामकाजी महिलाओं की सह कमेटियों ने भी हड़ताल को सफल बनाने के अभियान में भाग लेने के लिए आहवान किया।

बैठक का संचालन सीटू उपाध्यक्ष मर्सीकुट्टी अम्मा ने किया। अखिल भारतीय कामकाजी महिला समन्वय समिति (सीटू) की सचिव हेमलता ने यूपीए सरकार की नीतियों, देश के मजदूर वर्ग मुख्य रूप से महिलाओं के स्तर पर उन नीतियों का प्रभाव पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। यह नोट किया गया कि पिछले कुछ वर्षो से सीटू की गतिविधियों में महिला मजदूरों की भागीदारी में वृद्धि हुई है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु इत्यादी जैसे राज्यों में सीटू के निर्णयों में महिलाओं का महत्वपूर्ण हाथ रहा है।

3 से 5 नवम्बर 2006, विशाखापत्नम में होने वाले कामकाजी महिलाओं के आठवें अधिवेशन का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया। प्रतिनिधियों का राज्यानुसार कोटा तय किया गया। अधिवेशन में "असंठित क्षेत्रों में कामकाजी महिलाएं और उनकी भूमिका" पर एक विशेष बहस आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया। इस अवसर पर विशाखापत्नम में एक रैली आयोजित की जाएगी। बैठक में यह भी निर्णय लियां गया कि अखिल भारतीय अधिवेशन से पूर्व जहां भी संभव हो सके राज्य और जिला स्तरीय सम्मेलन पूरे किए जाए।

बैठक में "द वॉयस ऑफ द वर्किंग वुमन" पर भी विचार किया गया और मजदूरों और शिक्षित महिला कर्मचारियों में अभियान चलाकर इसकी सर्कुलेशन बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया। "द वॉयस ऑफ द वर्किंग वुमन" की कार्यकारी संपादिका रंजना और संपादक मंडल की सदस्या सिंधु ने भी बहस में भाग लिया और बहुत से महत्वपूर्ण सुझाव दिए।

26 अगस्त अखिल भारतीय कामकाजी महिला समन्वय समिति, एरनाकुलम की बैठक के अवसर पर महिलाओं ने एक जुलूस निकाला और सीटू जिला कमेटी और जिला कामकाजी महिला समन्वय समिति ने एक सार्वजनिक बैठक आयोजित की। हेमलता ने सार्वजनिक बैठक का उदघाटन किया। सीटू उपाध्यक्ष ई बालानंदन, मर्सीकुट्टी अम्मा और बैठक में भाग लेने वाले सभी राज्यों के नेताओं ने बैठक में अपने विचार प्रस्तुत किए। □

कामकाजी महिलाओं का आठवां अखिल भारतीय अधिवेशन

कामकाजी महिलाओं का आठवां अखिल भारतीय अधिवेशन 3 से 5 नवम्बर 2006, विशाखापत्नम में होगा।

23 राज्यों से 500 प्रतिनिधि और 5 राष्ट्रीय फैडरेशनों जैसे इन्श्योरेंस, बैंक, राज्य व केंद्रिय सरकारी कर्मचारी व बीएसएनएल कर्मचारी और अखिल भारतीय कामकाजी महिला समन्वय समिति के संदस्य अधिवेशन में भाग लेंगें। अधिवेशन का उद्घाटन सीटू महासचिव चित्तब्रत मजूमदार और समापन सीटू अध्यक्ष एम के पंधे द्वारा होगा।

प्रतिनिधि शुल्क 200रू प्रतिप्रतिनिधि होगा। अधिवेशन में असंगठित क्षेत्र में महिला मजदूरों के स्तर पर एक विशेष बहस होगी।

होंडा से लिबर्टी तक की यही कहानी
हरियाणा में प्रबंधक करते हैं मनमानी

□ इंद्रजीत सिंह

श्रम कानूनों के मामले में हरियाणा में हाल के महीनों में बहुत ही खतरनाक प्रवृत्तियां सामने आ रही हैं। जनता ने बेहतरी के लिए केंद्र तथा राज्य की सरकारों को बदला था। श्रम कानून और ट्रेड यूनियन अधिकारों को लागू करवाने के लिए आम तौर पर मजदूरों ने अपने आपको यूनियनों में संगठित करना और अपनी मांगें उठाना शुरू किया था।

सरकारी प्रशासन ने राज्य के श्रम विभाग को यह कहने की बजाय कि वह आगे आकर मजदूरों को उनका जायज हक दे, उसने मजदूरों का दमन करने के लिए पुलिस को दोषी प्रबंधनों के हवाले कर दिया।

इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि पिछले साल जुलाई महीने में गुड़गांव की होंडा फैक्टरी के मजदूरों पर पुलिस बर्बरता की व्यापक निंदा होने के बावजूद हरियाणा सरकार ने उससे कोई भी सबक नहीं लिया।

यहां कुछ ऐसी घटनाएं दी जा रही हैं,जो उपरोक्त निष्कर्ष की पुष्टि करती हैं:

0 हाल के हफ्तों में पानीपत में दर्जन भर स्थानों पर मजदूरों को आतंकित करने के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया गया। ऐसा उन स्त्री तथा पुरूष मजदूरों को ''सबक सिखाने के लिए'' किया गया, जिन्होंने गत 28 मई की सीटू तथा खेतमजदूर यूनियन की विशाल रैली में भाग लिया था।

पुलिस लगातार तीन दिनों तक मजदूरों को पीटती रही। ऐसी स्थिति में श्रम कानूनों को लागू करने की मांग करते हुए मजदूरों ने स्प्रिंग बनानेवाली अनेक इकाइयों में हड़ताल कर दी।

इसके बाद 7 जून को एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ जिसमें आठ घंटे के कार्यदिवस, साप्ताहिक छुट्टी, न्यूनतम वेतन, हाजरी रजिस्टर और महिलाओं के लिए समान वेतन जैसी मांगें मानी गयी।

बहरहाल, अनेक औद्योगिक इकाइयां इस समझौते का पालन करने से इंकार कर रही हैं और मजदूरों का दमन करने के लिए पुलिस बल का इस्तेमाल कर रही हैं।

0 4 जून को हरियाणा रोडवेज मजदूरों की दोनों प्रमुख यूनियनों के नेतृत्व की हिसार बस अड्डे पर बर्बरतापूर्वक पिटाई की गयी। ये मजदूर राज्य परिवहन विभाग द्वारा निजी वोल्वो बसों को लीज पर चलाए जाने के खिलाफ सांकेतिक विरोध कर रहे थे।

इसके खिलाफ पूरे हरियाणा में हड़ताल हुयी जो तीन दिनों तक चली। यहां यह उल्लेखनीय है कि इन यूनियनों के करीब 100 कार्यकर्ताओं से निपटने के लिए 600 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे।

0 6 जून को गुड़गांव में एम-टेक प्रबंधन ने भाड़े के स्थानीय समाजविरोधी तत्वों का इस्तेमाल किया और इन गुंडों ने यूनियन नेताओं पर कातिलाना हमला किया।

इस हमले में 12 मजदूर घायल हो गए, जिनमें से तीन का आइ सी यू में इलाज चला। पुलिस ने घायल मजदूरों पर भी मुकदमे बनाए।

0 करनाल स्थित लिबर्टी शू कंपनी के प्रबंधन ने गत अक्टूबर में हुए समझौते को लागू न करने के लिए एक ध्यानबटाऊ तिकड़म के तौर पर उकसावे की कार्रवाई की। क्योंकि मजदूरों की यूनियन इस समझौते को लागू करने पर जोर दे रही थी।

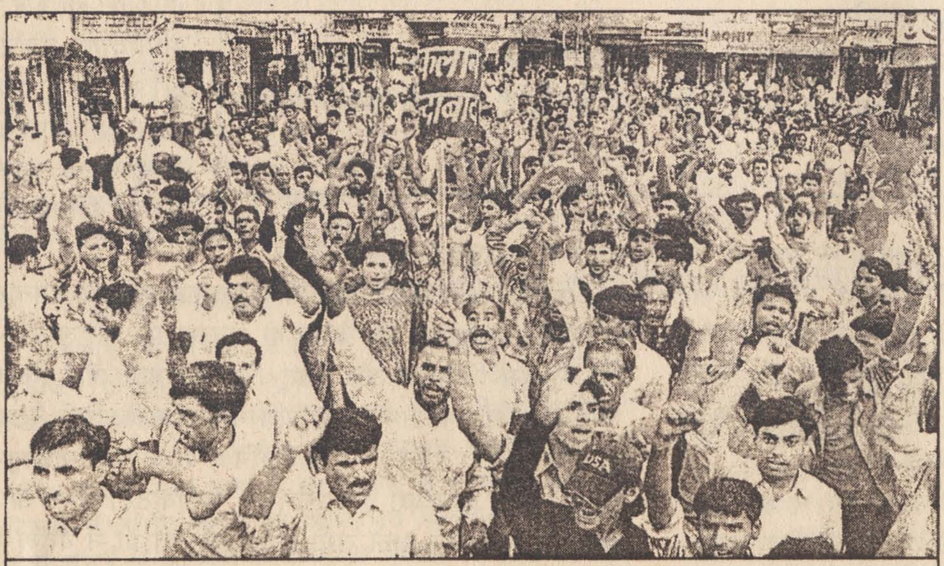

लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन करते लिबर्टी मजदूर और ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता

अधिकारियों और मजदूरों के बीच झगड़े के बहाने पुलिस ने 25 जून की रात यूनियन के 8 नेतृत्वकारी कार्यकर्ताओं को उनके घरों से उठा लिया। पुलिस थाने में उनकी पिटाई की गयी, उन्हें उत्पीड़ित किया गया और भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या करने की कोशिश) समेत अनेक गंभीर आपराधिक मामले उन पर थोप दिए गए।

दूसरी तरफ अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गयी। कंपनी के जोशी नामक एक मैनेजर ने

अपनी जीप से एक मजदूर को कुचलने की कोशिश की। 26 जून की सुबह जब मजदूरों को यह बात पता चली कि उनके नेताओं को पुलिस ने उत्पीड़ित किया है तो इससे मजदूरों में रोष फैल गया।

इसके खिलाफ उनके फौरी विरोध के चलते नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक जाम हो गया। पुलिस ने अंधाधुंध लाठीचार्ज किया और रबड़ की गोलियां चलायी जिससे महिलाओं समेत सैकड़ों मजदूर घायल हो गए। यह आतंक आगे भी कई दिन तक जारी रहा और अभी भी यह थमा नहीं है, जबकि करीब 50 मजदूर जेलों में पड़े हैं। उन पर भारतीय दंड संहिता की दूसरी धाराओं के अलावा धारा 307 भी लगायी गयी है।

यहां मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन किया गया है। उदाहरण के लिए घायल मजदूरों को घरौंडा तथा करनाल अस्पतालों से उठाया गया और उनकी और पिटाई करने के लिए पुलिस थाने ले जाया गया और जेल भेज दिया गया।

लिबर्टी शूज घरोंदा के मालिकों के गुण्डों और पुलिस की ओर से मजदूरों पर अमानवीय जुल्म दाया गया। सीआइटीयू की ओर से आयोजित एक जनसभा में एक कामकाजी महिला अपने पलास्टर लगे बाजू के साथ इस बर्बर अत्याचार की दास्तान सुना रही है।

0 यमुनानगर स्थित इंडियन सुगर एंड जनरल इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन (आइ एस जी ई सी) में निजी प्रबंधन मजदूरों के बहुमत का समर्थन प्राप्त नेताओं को डराने-धमकाने के लिए निरंतर पुलिस का इस्तेमाल कर रहा है। ये मजदूर इंटक छोड़कर आए हैं और सीटू के साथ संबद्धता चाहते हैं।

प्रबंधन के चहेते मुट्ठीभर बदनाम मजदूर नवगठित यूनियन के नेताओं पर हमले करवा रहे हैं। भारी बहुमत का समर्थन प्राप्त होने के बावजूद सरकार द्वारा रजिस्ट्रेशन के लिए इंकार किए जाने के बाद अब पूरे नेतृत्व का हरियाणा के बाहर के संयंत्रों में दूर-दराज तबादला कर दिया गया है।

जब मजदूरों ने बदले की इस कार्रवाई के खिलाफ पहली जुलाई को प्रदर्शन किया तो लाठियों और तलवारों से लैस गुंडों ने उन पर हमला किया। इस हमले में छः मजदूर घायल हो गए। लेकिन पुलिस ने मामूली केस बनाया। जबकि मजदूरों ने अपनी आशंका से पुलिस को पहले ही अवगत करा दिया था।

उपरोक्त घटनाएं इस बेहद खतरनाक प्रथा को दिखाती हैं कि पुलिस को दोषी प्रबंधनों के हवाले किया जा रहा है जैसे कि पुलिस वाले उनके निजी चौकीदार और रखवाले हों। उधर श्रम विभाग से न्यूनतम वैधानिक कानूनों को लागू करने के लिए भी नहीं कहा जा रहा है।

अगर मामला यही नहीं रुका तो जंगल राज कायम हो जाएगा और जीवन का अधिकार तक दांव पर लग जाएगा। यहां यह उल्लेखनीय है कि ये घटनाएं वैसे अलग-थलग दिखायी देती हैं, लेकिन वास्तव में इनका एक सैट पैटर्न है। यह नव-उदारवादी शासन की खास पहचान है जो पूंजी की भूखी सरकार और मुनाफे की भूखी पूंजी के बीच एक नापाक धुरी से बनती है।

इसका प्रतिरोध होना चाहिए और मात दी जानी चाहिए। क्योंकि इससे आम आदमी की रोजी-रोटी और उसकी गरिमा को खतरा है।

सी पी आइ (एम), सीटू और तमाम जनतंत्रपसंद ताकतें जनता के तमाम तबकों को लामबंद करने के जरिए सरकार के इस जनविरोधी रुख का करारा जवाब देने के लिए दृढ़प्रतिज्ञ हैं।

लिबर्टी कंपनी के मजदूरों ने अन्याय के सामने न झुकने और प्रबंधन तथा पुलिस द्वारा उनके साथ की गयी सारी नाइंसाफी के खिलाफ लड़ाई जारी रखने के अपने संकल्प का इजहार किया है। 4 जुलाई को घरौंडा में आयोजित विशाल रैली में उनका यही संकल्प अभिव्यक्त हो रहा था।

संघर्षरत मजदूरों को दूसरी यूनियनों और स्थानीय जनता का भारी समर्थन मिला है। अनेक घायल मजदूरों, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, ने इस रैली में उपस्थित होकर अपने दृढ़ निश्चय का प्रदर्शन किया।

इस रैली को अन्य लोगों के अलावा सीटू सचिव दीपांकर मुखर्जी, सी पी आइ (एम) राज्य सचिव इंद्रजीत सिंह, राज्य सीटू के उपाध्यक्ष बलबीर दहिया तथा महासचिव सतवीर सिंह और सी पी आइ के नेताओं रघुवीर चौधरी तथा डा0 हरनाम सिंह ने संबोधित किया।

सभी वक्ताओं ने हरियाणा सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए यह स्पष्ट किया कि वे ना तो औद्योगिक क्षेत्र में निवेश के खिलाफ हैं और न ही लिबर्टी इंडस्ट्रीज में हड़ताल जारी रखने में उनकी कोई विशेष रूचि है। उनका कहना था कि यह हड़ताल तो उल्टे मजदूरों पर थोपी गयी है।

वक्ताओं ने सरकार से अपील की कि वह गिरफ्तार किए गए 50 मजदूरों को फौरन रिहा करे, मजदूरों पर किए गए हमलों लिए जिम्मेदार लोगों को सजा दे और समझौता लागू करने के लिए बातचीत शुरू करे। रैली में यह भी घोषणा की गयी कि इस सिलसिले में वामपंथी पार्टियों के सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही हरियाणा के मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा।

☐

आसाम राज्य आंगनवाड़ी अधिवेशन

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका यूनियन, आसाम का तीसरा अधिवेशन 6 से 8 जून 2006 को जोरहाट, आसाम में हुआ। अधिवेशन का आरम्भ एक विशाल सार्वजनिक बैठक से हुआ जिसे आसाम सरकार की समाज कल्याण मंत्री, अजन्ता नोएग, आसाम राज्य कमेटी (सीटू) के महासचिव देबेन भट्टाचार्या एवं तपन शर्मा द्वारा संबोधित किया गया। यूनियन की अध्यक्षा माधुरी देवी ने बैठक का संचालन किया। इस अवसर की यादगार में एक पुस्तक का विमोचन किया गया।

प्रतिनिधि सत्र का आरम्भ यूनियन का झंडा फहराकर तथा शहीदों को सम्मान देकर किया गया। प्रतिनिधि सत्र का संचालन माधुरी देवी, भारती डेका, सोनाश्री ब्रहमा, कुसुमी केरकातकी तथा मृदुला सहित अध्यक्ष मंडल ने किया। एक स्टीयरिंग कमेटी तथा क्रेडेंशियल कमेटी का भी गठन किया गया। आइफा की अध्यक्षा नीलिमा मैत्रा ने उद्घाटन भाषण दिया। अधिवेशन में 250 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

महासचिव की रिपोर्ट पर प्रतिनिधियों ने कुछ बिंदु उठाए जैसे खेल तथा भोज्य वस्तुओं की नियमित आपूर्ति का अभाव, आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए स्थायी इमारत न होना, माताओं व बच्चों के उपचार के लिए ठीक प्रकार से व्यवस्था न होना, कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को नियमित रूप से मानदेय का भुगतान न होना।

प्रतिनिधियों ने कहा कि आइसीडीएस योजना पर जनता का समर्थन, नियमित रूप से माताओं के लिए दवाएं तथा बच्चों के लिए खिलौनों की आपूर्ति पर निर्भर करता है, उसके अभाव में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सेविकाओं के विरूद्ध गुस्सा दर्शाया जाता है।

कुछ प्रतिनिधियों ने संक्षेप में कहा कि 25–30 वर्ष कार्य करने के बाद भी उन्हें नियमित कर्मचारी की मान्यता नही मिली तथा न ही उन्हें सुपरएन्यूएटिंग लाभ उपलब्ध कराए गए। अधिवेशन में अखिल भारतीय फैडरेशन द्वारा बनाई गई 25 बिन्दुओं की मांगसूची को स्वीकारा गया। अधिवेशन में 25 जुलाई से 3 अगस्त 2006 तक दिल्ली में होने वाली विराट क्रमिक भूख हड़ताल का समर्थन करते हुए एक घोषणा पत्र स्वीकारा गया तथा कार्यक्रम में आसाम से 200 प्रतिनिधियों को भाग लेने के लिए भेजने का निर्णय लिया गया।

बीटीएडी के प्रतिनिधियों के साथ एक विशेष सत्र आयोजित किया गया। बीटीएडी की एडहॉक कमेटी के संयोजक सोनाश्री ब्रहमा ने क्षेत्र में आईसीडीएस कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की समस्याओं का वर्णन करते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। क्षेत्र की 21 परियोजनाओं से 67 प्रतिनिधियों ने विशेष सम्मेलन में भाग लिया।

सम्मेलन में आईसीडीएस से संबंधित मुद्दों पर बीटीएडी प्रशासन पर दबाव बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। नए प्रशासनिक जिलों के आधार पर कमेटियां गठित करने, वर्ष 2006 के दौरान 20,000 सदस्यता का लक्ष्य तथा नवम्बर 2006 तक सदस्यता राशि जमा कराने का भी निर्णय लिया गया।

अधिवेशन में सर्वसम्मति से 15 पदाधिकारियों के साथ 53 सदस्यों की राज्य कमेटी का गठन किया गया।

गुजरात की स्वतंत्र यूनियन का आइफा में शामिल होने का निर्णय

गुजरात आंगनवाड़ी कर्मचारी संगठन एक स्वतंत्र यूनियन है और इसका नेतृत्व चंदू भाई लखानी कर रहे हैं। इस यूनियन की राज्य काउंसिल ने एकमत होकर अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका फैडरेशन में शामिल होने का निर्णय लिया है।

काउंसिल की बैठक 15 जुलाई 2006, गांधी नगर में राज्य अतिथि गृह में हुई। यूनियन के लगभग 16 जिलों जैसे – अहमदाबाद, अमरेली, आनन्द, भारोच, बड़ौदा, भावनगर, जूनागढ़, राजकोट, सुरेंद्रनगर, पंचमहल, कच्छ, वलसाद, नरसेरी, खेड़ा, जामनगर, बनसकांथा के पदाधिकारी लगभग 50 सदस्य, यूनियन के बहुत से सलाहकारों ने बैठक में भाग लिया जिसका संचालन यूनियन के अध्यक्ष चंदू भाई लखानी ने किया। आइफा की महासचिव हेमलता, सीटू गुजरात राज्य कमेटी के सह सचिव अरूण मेहता तथा गुजरात आंगनवाड़ी व बालवाड़ी की अयोजक कमेटी की संयोजिका चंद्रिका बेन भी बैठक में उपस्थित थीं।

चंदू भाई ने आंगनवाड़ी कर्मचारियों के विस्तृत अखिल भारतीय आंदोलन तथा आंगनवाड़ी कर्मचारियों की मांगों पर संघर्षों में आइफा की भूमिका के बारे में भी विस्तृत रूप से जानकारी दी। हेमलता ने फैडरेशन की मांगों तथा इसके द्वारा किए गए विभिन्न संघर्षों, विभिन्न राज्यों में इससे संबंधित यूनियनों और इन यूनियनों के झंडे तले हुए संघर्षों से आंगनवाड़ी कर्मचारियों को प्राप्त लाभों के बारे में बताया। अरूण मेहता ने विश्वास दिलाया कि सीटू उनके संघर्षों में सहायता करेगी तथा राज्य में भाजपा सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ मजदूर वर्ग के आंदोलनों में शामिल होने के लिए उनसे निवेदन किया। महासचिव राजन बेन पटेल ने आइफा में शामिल होने का घोषणापत्र दिखाया जिसका भावनगर जिले की भावना बेन गज्जर ने समर्थन किया। घोषणापत्र को एकमत होकर स्वीकारा गया।

बाद में फैडरेशन द्वारा दिल्ली में संसद के मानसून सत्र में आयोजित की जाने वाली विराट क्रमिक भूख हड़ताल में भारी संख्या में भाग लेने का निर्णय लिया। हेमलता ने उनके इस निर्णय पर बधाई दी तथा फैडरेशन में उनका स्वागत किया।

चंबा का संघर्ष: सीटू ने सीबीआई जांच की मांग की

सीटू ने हिमाचल प्रदेश की पुलिस द्वारा हिमाचल राज्य कमेटी सीटू के सचिव डा. कश्मीर सिंह ठाकुर को जघन्य यातनाएं दिए जाने की कड़े शब्दों में निंदा की। चंबा पुलिस थाने में पिटाई से उनकी पीठ, बैठने की जगह और पांवों में गम्भीर चोटें आईं थी। 24 अगस्त को उन्हें जब जज के सामने पेश किया गया, उसमें उनकी डाक्टरी जांच भी कराई। चंबा अस्पताल के मेडिकल अफसर द्वारा दी गई जांच रिपोर्ट के अनुसार पुलिस की हिरासत में भोंथरे हथियारों की चोटें लगी थीं।

सीटू ने डा. कश्मीर सिंह ठाकुर को हिरासत में यातनाएं देने के लिए सीधे जिम्मेदार चार पुलिस वालों जिनमें इंस्पेक्टर प्रताप, ए एस आई अनूप कटोच, कांस्टेबल विक्टर तथा ड्राइवर सुरेंद्र के नाम शामिल हैं, को तुरन्त निलंबित किए जाने की मांग की थी। स्मरण रहे कि इंस्पेक्टर प्रताप इस तरह की हरकतों के लिए कुख्यात है। चंबा जिले की तिस्सा तहसील में कर्मचंद की हत्या उसी की हिरासत में हुई थी।

आंदोलन की पृष्ठभूमि

मौजूदा घटनाचक्र की शुरूआत तब हुई जब सीटू ने चंबा जिले के अन्तर्गत, चमेरा–3 जल–विद्युत परियोजना में यूनियन की स्थापना की प्रक्रिया आरम्भ की। हिन्दुस्तान कन्सट्रक्शन कम्पनी, अनेक उप ठेकेदारों के मार्फत इस परियोजना के निर्माण का काम चला रही है। एचसीसी और उसके उप ठेकेदारों द्वारा चार माह से मजदूरों को मजदूरी नही दी गई थी। वास्तव में वहां किसी श्रम कानून का पालन नही हो रहा था। सीटू की यूनियन ने, जो निर्माण की प्रक्रिया में ही थी, एचसीसी प्रबंधकों को एक मांगपत्र दिया था। परन्तु प्रबंधकों ने मांगपत्र पेश किए जाने पर ही भारी आपत्ति जताई और यूनियन को धमकी दी कि फौरन अपना मांगपत्र वापस ले ले। उसी रात 10 जून को सीटू के तीन नेताओं की हत्या कर दी गई और एक अन्य, प्रमोद कुमार ने किसी तरह भागकर जान बचाई थी।

इसी बीच राज्य सरकार के श्रम विभाग ने मजदूरों की शिकायतों की जांच करने के लिए एक टीम चंबा भेजी थी। बहरहाल, पुलिस ने इस मौके पर भी एचसीसी प्रबंधकों के लठैतों के तौर पर काम किया और 14 जुलाई को रात साढ़े ग्यारह बजे करीब 70 मजदूरों को उनकी झोपड़ियों से उठाया और करीब 150 किमी दूर पठानकोट में छुड़वा दिया, ताकि श्रम विभाग के जांच दल के सामने उनकी गवाही न हो सके। यह दूसरी बात है कि मजदूर इसके बावजूद लौट आए और उन्होने जांच दल के सामने अपने बयान दर्ज कराए। इस जांच के फलस्वरूप श्रम विभाग को सरकार से यह सिफारिश करनी पड़ी कि दोषी कम्पनी, एचसीसी के खिलाफ कार्यवाही की जाए, इसके बावजूद वीरभद्र सिंह की सरकार ने कानून का पालन कराने के लिए कार्यवाही नहीं की।

10 जून को एच सी सी प्रबंधकों ने चंबा के के अन्तर्गत डाकोह में सीटू के तीन नेताओं की हत्या करा दी गई थी, परन्तु पुलिस पूरी तरह से प्रबंधकों का साथ दे रही थी। शुरू में तो उसने दोषियों को गिरफ्तार से ही बचने की कोशिश की परन्तु बाद में जनता के भारी दबाव में उन्हें दोषियों को गिरफ्तार तो करना पड़ा, लेकिन इसके बाद पुलिस ने पूरी तरह से अगम्भीर आरोपों में इस तिहरे हत्याकांड के मुख्य गवाह प्रमोद कुमार को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस की हिरासत में उन्हें यातनाएं दी गई और यह धमकी दी गई कि या तो हत्याकांड के संबंध में अपना बयान बदलें वर्ना बुरे से बुरे नतीजे के लिए तैयार रहें।

डा0 कश्मीर सिंह को भी पूरी तरह से फर्जी मामला बनाकर 20 अगस्त को पुलिस ने पकड़ लिया। आश्चर्य जनक रूप से उनके खिलाफ दंडाविधान की धारा 307 थोप दी गई। अब एचसीसी प्रबंधन का वर्तमान मजदूरो से एक भी कौड़ी दिए बिनापुनः कार्य आरम्भ करवाना चाहता है। जिसका सीटू ने विरोध किया। यह वह भूमिका है जिसके चलते डा0 कश्मीर सिंह ठाकुर को कार्यस्थल से उठा लिया गया ताकि बिना किसी दबाव के कार्य आरम्भ हो सके।

पुराने मजदूरों को हटाकर नए मजदूर लाने की मजदूरों की साजिश कामयाब नही हो पाई । सीटू के नेतष्त्व में मजदूरों के संघर्ष के चलते आखिरकार उन्हें पुराने मजदूरों को चार माह से अधिक की मजदूरी का भुगतान करना पड़ा है। जो हिन्दुस्तान कन्सट्रक्शन कम्पनी (एचसीसी) अपने मजदूरों को एक पैसा भी देने के लिए तैयार नही थी और जिसने एक वक्त में तो मजदूरों को अपने यहां कार्यरत मानने से ही इन्कार करना आरम्भ कर दिया था।

दिल्ली में विरोध

सैंकडों मजदूरों ने हिमाचल प्रदेश, नई दिल्ली भवन के समक्ष 29 अगस्त 2006 चंबा में डा0 कश्मीर सिंह ठाकुर को गिरफ्तार करने और जघन्य यातनाएं देने के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का आयोजन सीटू दिल्ली राज्य कमेटी द्वारा किया गया। मजदूरो के साथ भारी तादात में महिलाओं, युवाओं और छात्रों ने इस विरोध प्रदर्शन में भाग लिया ओर हिमाचल प्रदेश में ट्रड यूनियन नेताओं पर किएए जा रहे जुल्मों का रोषपूर्ण विरोध किया। इस कार्यवाही में पडोसी राज्यों हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश के मजदूर तथा उनके नेता भी शामिल हुए। खासतौर से गुड़गांव के मजदूरों ने इस कार्यवाही में बढ़चढ़कर भाग लिया। प्रदर्शनकारी दोषी पुलिस अधिकारियों को दंडित करने की मांग कर रहे थे। उनके हाथों में ऐसी मांगों से संबंधित तख्तियां थीं। और वे राज्य की सरकार के खिलाफ नारे बुलंद कर रहे थें। हिमाचल भवन के सामने सफदर हाश्मी मार्ग पर "वीरभद्र सरकार मुर्दाबाद" और "लड़ाका मजदूरों को लाल सलाम" के नारे गूंज रहे थे।

प्रदर्शनकारियों को सीटू सचिव तथा सांसद तपन सेन, सीटू सचिव दीपांकर मुखर्जी, दिल्ली राज्य सीटू के महासचिव मोहनलाल हरियाणा राज्य सीटू के महासचिव सतवीर सिंह, सीपीआई(एम) के दिल्ली राज्य सचिव पी एम एस ग्रेवाल और जनवादी महिला समिति की नेत्री सेहबा फारूकी ने संबोधित किया। बाद में राज्य के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन रेजिडेंट कमिश्नर को दिया।

कश्मीर सिंह की जमानत पर रिहाई हुई। चंबा का मजदूर अंदोलन अभी भी चल रहा है। □

उत्तर प्रदेश

इलाहाबाद

आंगनवाडी कार्यकर्ता और सहायिका कार्यकर्ताओं की जिला स्तरीय बैठक इलाहाबाद में 25 जून 2006, टाउन हॉल में हुई। बैठक में बहादुरपुर और बहेरिया परियोजनाओ से 60 से अधिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। भागीदारों के आहवान के अभियान में अनारकली ने बहुत ही क्रियाशीलता से भाग लिया। गीता सिंह ने बैठक का संचालन किया। सीटू जिला कमेटी से मंयक खरे ने विस्तारपूर्वक बताया कि किस प्रकार सीटू अलाहाबाद जिले में आंगनवाड़ी कर्मचारियों को संगठित करने का प्रयत्न कर रहा है तथा उनसे गतिविधियों का विस्तार करने का अनुरोध किया।

उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन की राज्य संगठन कमेटी की संयोजिका वीना गुप्ता ने कहा कि आईसीडीएस के अन्तर्गत आंगनवाड़ी कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं हमारे देश के बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, परन्तु सरकार निचले स्तर से कार्य को अंजाम देने वाले आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रही है। उन्होनें कहा कि उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कर्मचारियों को बहुत से लाभ देने का वादा किया गया है परन्तु अभी तक इसका कोई पालन नही हुआ है। उन्होनें अपने अधिकारो को पाने के लिए संघर्ष करने और यूनियन को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।

मुख्य अतिथि आइफा की महासचिव हेमलता ने आंगनवाड़ी कर्मचारियों को उनके संघर्ष से प्राप्त हुए विभिन्न प्रकार के लाभों का वर्णन किया। उन्होनें यह भी सूचना दी कि कुछ अन्य लाभ जैसे ग्रीष्मावकाश, त्यौहार भत्ता, अतिरिक्त कार्य के लिए अतिरिक्त मानदेय, कल्याण फंड, प्रोविडेंट फंड इत्यादी विभिन्न राज्यों में आंगनवाड़ी कर्मचारियों के संघर्षों द्वारा उन्हें प्राप्त हुए हैं। परन्तु आईसीडीएस को आरम्भ करने वाली केंद्रिय सरकार आंगनवाड़ी कर्मचारियों की नियमितिकरण, न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा लाभ जैसे पेंशन, प्रोविडेंट फंड इत्यादी मांगों को लेकर गम्भीर नही है। फैडरेशन ने इन मुद्दों पर संसद के मानसून सत्र के दौरान 25 जुलाई से 3 अगस्त तक विराट क्रमिक भूख हड़ताल आयोजित करने का निर्णय लिया। उन्होनें इलाहाबाद के आंगनवाड़ी कर्मचारियों को क्रमिक भूख हड़ताल में बड़ी संख्या में भाग लेने और यूनियन को जिले की सभी परियोजनाओं में अपने स्तर में सुधार लाने के लिए उकसाया।

विभिन्न परियोजनाओं के प्रतिनिधियों सहित एक आयोजक कमटी का गठन किया गया जिसमें अनारकली को संयोजिका बनाया गया। दिल्ली में क्रमिक भूख हड़ताल में सभी परियोजनाओं से बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी कर्मचारियों को लामबंद करने का निर्णय लिया गया।

ललितपुर

तालबेहाट, जखवारा, बहार, महरौनी, मडावड़ा, बिरधा जैसे सभी जिलों से लगभग 600 आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने ललितपुर में तुवान मंदिर के मैदान में हुए जिला स्तरीय सम्मेलन में भाग लिया। ओम प्रकाश ने सम्मेलन का संचालन किया। युनियन के सलाहकार और तालबेहाट के एडवोकेट ने कार्यवाही का संचालन किया। बहुत से अन्य जनसंगठनों के नेता भी वहां उपस्थित थे। पड़ोस के झांसी जिले के भी बहुत से आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने सम्मेलन में भाग लिया और समर्थन जताया।

सभी परियोजनाओं की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने अपने स्तर की समस्याओं पर बात रखी। उन्होने रिपोर्ट की कि प्रत्येक माह कुछ न कुछ बहाने में और अन्यों पर सीडीपीओज़ 100–200रू की मांग कर रहे है। यद्यपि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता विभिन्न प्रकार के कार्य कर रहे है, परन्तु सरकार उनकी सेवाओं को नियमित नही कर रही है। यहां तक कि पंचायत प्रधान भी स्तनपान कराने वाली माताओं, गर्भवती और अल्पपोषित बच्चें के लिए पूरक पोषण के लिए दी जाने वाली राशि में अपने हिस्से की मांग कर रहे है। खाद्य सामग्री की सप्लाई नियमित रूप से नही होती जिसके लिए जनता आंगनवाड़ी कर्मचारियों को दोषी ठहराती है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए पदोन्नति के कोई अवसर नही है।

झांसी से भूषण कष्ण गोस्वामी ने अपने विचार प्रस्तुत किए और संगठन को मजबूत बनाने के लिए कहा। उन्होने कहा कि केवल संगठित होकर संघर्ष करने से ही आंगनवाड़ी कर्मचारियों की समस्याएं हल हो सकती हैं और वे अपनी मांगें प्राप्त कर सकते है।

आइफा की महासचिव हेमलता ने कहा कि ललितपुर तथा राज्य के अन्य भागों में आंगनवाड़ी कर्मचारियों को प्राप्त लाभ जैसे मातष्त्व अवकाश और वार्षिक अवकाश भी नही मिल रहे हैं क्योंकि वे न तो अपने अधिकारों के बारे में जानते हैं और न ही संगठित है। उन्होंने आंगनवाड़ी कर्मचारियों की नियमितिकरण, मानदेय में वर्षद्धि, और प्रोविडेंट फंड आर सामाजिक सुरक्षा जैसे लाभों की मांगों पर फैडरेशन द्वारा आयेजित किए गए संघर्षों और विभिन्न राज्यों में संबंधित युनियनों को संघर्षो से प्राप्त लाभों के बारे में बताया। उन्होने संसद के मानसून सत्र के दौरान फैडरेशन द्वारा आयोजित की जाने वाली क्रमिक भूख हड़ताल में आंगनवाड़ी कर्मचारियों को बड़ी संख्या में भाग लेने के लिए कहा।

यह निर्णय लिया गया कि क्रमिक भूख हड़ताल में जिले से 26 जुलाई को आंगनवाड़ी कर्मचारी भाग लेंगें।

बांदा

बांदा में आयोजित एक बैठक में बांदा जिले के बदोखर जिले से लगभग 100 आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने भाग लिया। सीटू से मयंक खरे ने भागीदारों का स्वागत किया। उन्होनें सूचना दी कि सीटू राज्य कमेटी यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्हें सभी लाभ जो बहुत समय से लम्बित हैं, मिलें, आंगनवाड़ी कर्मचारियों को संगठित करने का प्रयत्न कर रही है। आइफा की महासचिव हेमलता ने फैडरेशन के पांचवे अधिवेशन में स्वीकष्त मांगों के बारें में और इसके द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में बताया। उन्होने विभिन्न राज्यों में सीटू और आइफा से संबंधित यूनियनों द्वारा किए गए संघर्षों द्वारा प्राप्त विभिन्न लाभों के बारे में बताया और आंगनवाड़ी कर्मचारियों से जिले में संगठित होने और देश के अन्य भागों में आंगनवाड़ी कर्मचारियों को संघर्षों और उनके स्तर को सुधारने के अभियानों में शामिल करने के लिए कहा।

बैठक में उपस्थित आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने क्रमिक भूख हड़ताल के कार्यक्रम में शामिल होने और अभियान में भाग लेने का निर्णय लिया। ☐

संघर्ष की राह पर दिल्ली आंगनवाड़ी यूनियन

इसके गठन के समय से ही आइफा के समक्ष दिल्ली में यूनियन बनाना एक कड़ी चुनौती थी। जबसे आईसीडीएस एक केंद्रिय योजना है और आंगनवाड़ी कर्मचारियों की मुख्य मांगें केंद्र सरकार से संबंधित है, राष्ट्रीय राजधानी में एक मजबूत यूनियन होना एक महत्वपूर्ण बात है। सभी केंद्रिय बैठकों में इस विषय पर बहुत गम्भीरता से विचार हुआ। आइफा के अखिल भारतीय केंद्र से दिल्ली राज्य सीटू के साथ कोर्डिनेशन के लिए कदम उठाए गए। कुछ परियोजनाओं में कुछ बैठकें आयोजित की गईं जोकि स्व. विमल रणदिवे, फैडरेशन की पूर्व कोषाध्यक्ष नीना राव, आइफा अध्यक्ष नीलिमा मैत्रा और आइफा कोषाध्यक्ष ए आर सिंधु द्वारा ली गईं थीं। परन्तु दिल्ली सीटू यूनियन की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में कैडरों को नही ला सके और प्रयत्न भी नही किए जा सके।

2005 में सीटू दिल्ली राज्य कमेटी ने निर्णय लिया कि आंगनवाड़ी को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में संगठित किया जाए। कमला और इंद्राणी मजूमदार को उत्तरदायित्व सौंपा गया। दिल्ली की इंचार्ज ए आर सिंधु के साथ उन्होने कालकाजी, वजीरपुर इत्यादी में संपर्क बनाए और बैठकें की। यूनियनों की दखलअंदाजी के चलते 2003 से लंबित मानदेय के अरियर का भुगतान हुआ। परन्तु होलटाइमर के अभाव के चलते उद्देश्य प्राप्त नही कर सके।

अक्टूबर 2005 में सीटू राज्य से रूपा सिंह को राज्य में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को संगठित करने के लिए रखा गया। इससे नए और पुराने संपर्कों को पुनः बनाने में सहायता मिली। इंद्राणी और सिंधु के साथ रूपा और कमला ने बैठकें की और यूनियन के पंजीकरण की तैयारी आरम्भ की।

इसी बीच राज्य सरकार ने 58 वर्ष की आयु होने पर आंगनवाड़ी कर्मचारियों को सेवानिवष्त्त करने का निर्णय लिया। यूनियन नेतष्त्व सह सचिव से मिले तथा देश में 25 वर्षों से अधिक समय से कार्य कर रही आंगनवाड़ी कर्मचारियों के सेवानिवष्त्ति लाभ के बारे में पूछते हुए एक निवेदन दिया। यूनियन ने सरकार से पेंशन योजना लागू करने और इसके लम्बित रहने तक सेवानिवष्त्ति रोकने का अनुरोध किया। तत्पश्चात यूनियन् नेतृत्व, सचिव से मिला और उन्होने भी वही भरोसे दिलाए। इस बीच बहुत से आंगनवाड़ी कर्मचारियों को जबरदस्ती सेवानिवष्त्त कर दिया गया। जिन्होने इसे नही माना, उनका सुपरवाइजरों और सीडीपीओज़ द्वारा उत्पीड़न किया गया।

एक प्रतिनिधिमंडल समाज कल्याण राज्य मंत्री योगानंद शास्त्री से 8 जून 2006 को मिले और सेवानिवृत्ति रोकने की मांग की। उन्होने इसे सही ठहराया और कुछ सहायता करने का भरोसा दिलाया। परन्तु राज्य अफसरों तथा मंत्री की एक बैठक 11 जून को हुई और उसमें सेवानिवृत्ति जारी रखने का निर्णय लिया गया।

तब यूनियन ने सचिव को जन ज्ञापन देने और सरकार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं जोकि निर्धन परिवारों के बच्चों के जीवन पर प्रभाव डालते हैं, के गुस्से का सामना करने के लिए चेताने का निर्णय लिया।

20 जून 2006 को चार परियोजनाओं की महिलाओं ने दिल्ली गेट पर स्थित राज्य आईसीडीएस ऑफिस का घेराव किया। ए आर सिंधु, इंद्राणी मजूमदार, कमला, रूपा और शांति ने प्रदर्शन का नेतृत्व किया। सचिव की अनुपस्थिति में वे सह सचिव से मिले और आंगनवाड़ी कर्मचारियों को जबरदस्ती नौकरी से हटाए जाने का आदेश वापिस लेने की मांग की। सह सचिव ने भरोसा दिलाया कि वे तुरन्त कदम उठाऐंगें और सचिव के अवकाश से लौटने पर यूनियन की बैठक की व्यवस्था करेंगें।

यूनियन ने एक हस्ताक्षर अभियान चलाया और आईटीओ दिल्ली पर 20 जुलाई 2006 को प्रदर्शन किया।

दिल्ली में हुई विराट क्रमिक भूख हड़ताल में दिल्ली राज्य के आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने बड़े पैमाने पर भाग लिया। संगठन के परिश्रम से विभिन्न प्रदेशों में मानदेय, किराया आदि के भुगतान समय पर हो रहे हैं। यूनियन ने एनजीओ द्वारा दिए जाने वाले पोषक आहार की गुणवत्ता सही करने के लिए डेप्यूटी डायरेक्टर से मांग की है।

27 अक्टूबर : फरीदाबाद में विरोध प्रदर्शन

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका यूनियन का जिला स्तरीय सम्मेलन गांधी भवन बल्लभगढ़ में जिला प्रधान देवेन्द्री शर्मा की अध्यक्षता में हुआ। इस सम्मेलन में हसनपुर, होडल, हथीन, नूंह, पलवल, बल्लभगढ, फरीदाबाद आदी परियोजनाओं से हजारों कार्यकर्ताओं और सेविकाओं ने भाग लिया। सम्मेलन में सीडीपीओ, व कार्यक्रम अधिकारी के स्तर पर आ रही समस्याओं को लेकर 27 अक्टूबर को सैक्टर–12 स्थित कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन करने और 14 अक्टूबर को सर्व कर्मचारी संघ, हरियाणा की दशहरा मैदान बल्लभगढ़ में आयोजित जोनल रैली में बढ़चढ़कर भाग लेने का फैसला लिया। सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए अखिल भारतीय आंगनवाड़ी फैडरेशन की कोषाध्यक्ष ए आर सिंधु ने कहा कि 3 अगस्त को फैडरेशन की प्रधानमंत्री से बातचीत हुई जिसमें प्रधानमंत्री ने बाल विकास परियोजना को सरकारी विभाग बनाकर कार्यकर्ताओं को तीसरे व सेविकाओं को चौथे दर्जे के सरकारी कर्मचारी के बराबर वेतन देने और ऐसा होने तक कार्यकर्ताओं को 3000रू और हैल्पर को 2000रू देने तथा सेवानिवृत्ति के समय कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को क्रमशः एक लाख व पचास हजार रू एकमुश्त राशि के रूप में देने पर सहमति जताई थी। उन्होनें कहा कि राज्यों में जिला स्तरीय सम्मेलन किए जा रहे है और अक्टूबर व नवम्बर माह में प्रत्येक कार्यकर्ता व सहायिका दो–दो पोस्ट कार्ड प्रधानमंत्री व विभागीय मंत्री को भेजे जाऐंगें। उन्होने यह भी कहा कि यदि प्रधानमंत्री ने सहमत मांगों को लागू नही किया तो देशभर के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं राष्ट्रीय हड़ताल करेगें। राज्य कमेटी की नेता देवेंद्री शर्मा व उर्मिला रावत ने कहा कि 21 अगस्त को यूनियन का प्रतिनिधि मंडल महिला एवं बाल विकास के निदेशक से मिलकर प्रदेश में आ रही समस्याओ से अवगत करा चुका है, उन्होने 100रू बढ़ाए गए मानदेय को शीघ्र लागू करने की मांग की। सम्मेलन को जिला सचिव कमलेश देवी, कलावती, भेतेरी, मालती देवी, हेमलता, सर्व कर्मचारी संघ के नेता सुभाष लांबा आदी ने भी सम्बोधित किया। □

सोलापुर में बीड़ी मजदूरों के लिए दस हजार घर

सीआइटीयू के नेतश्त्व में श्रमिक वर्ग ने संगठन और कल्पना के स्तर पर 1 सितम्बर, 2006 को उस समय एक नया क्षितिज खोला जब सोलापुर में प्रधान मंत्री डाक्टर मनमोहन सिंह ने दस हजार बीड़ी मजदूरों को उनके सुन्दर एवं पक्के घरों की चाबियां सौंपी। बीड़ी मजदूरों के लिए ये घर एक सहकार जन–आवास योजना के अन्तर्गत बनाए गए हैं। सीआइटीयू की सोलापुर इकाईयों के नेतृत्व में यह परियोजना शुरू की गई थी। वरली आदिवासियों के क्रांतिकारी संघर्षो की नेता कामरेड गोदावरी पारुलेकर के नाम पर इस परियोजना को कामरेड गोदावरी पारुलेकर महिला बीड़ी कामगार सहकारी गश्ह निर्माण संस्था का नाम दिया गया था।

पूरे दस हजार आवास की इस अनोखी परियोजना का काम 2001 में शुरू हुआ था और नियत समय से तीन महीने पहले इसे पूरा कर लिया गया। प्रधान मंत्री के हाथों इस अनोखी आवास परियोजना की चाबी सौंपे जाने के कार्यक्रम नेएक जन सभा का रूप ले लिया, जिसमें लगभग 60,000 लोगों ने भाग लिया। इसमें बीड़ी मजदूरों तथा उनके परिजनों के अलावा अन्य मजदूर तथा अन्य साधारण जन भी शामिल थे। प्रधान मंत्री ने अपने हाथों से बीड़ी मजदूरों के जिन पांच प्रतिनिधियों को उनके घरों की चाबियां सौंपी उनके नाम इस प्रकार हैं–सुनंदा भल्ला, शकुंतला पनिभाते, नसीमा शेख, फातिमा बेग और अंगुबाई गुर्रम। दो दिनों के भीतरसभी दस हजार बीड़ी मजदूरों को उनके घरों की चाबियां सौंप दी गई। परियोजना के अन्तर्गत दस हजार बीड़ी मजदूरों को सहकारी स्वामित्व में रहने के लिए तैयार आवास दिए जा रहे हैं ओर उन्हें आगे इन घरों पर कोई ऋण नहीं चुकाना होगा।

इस कार्यक्रम की अध्यक्षता महाराष्ट्र के राज्यपाल एस एम कृष्णा ने की। इस मौके पर आयोजित जन सभा को प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह और राज्यपाल के अलावा केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री सुशील कुमार शिंदे, केन्द्रीय श्रम मंत्री चन्द्र शेखर साहू, सी पी आई (एम) पोलित ब्यूरो के सदस्य कामरेड सीता राम यैचुरी, बीड़ी वर्कर्स यूनियन के महासचिव नरसय्या एडम और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख ने भी सम्बोधित किया। इस अवसर पर सीपीआइ (एम) की महाराष्ट्र राज्य समिति के सचिव अशोक ढवले भी मौजूद थे। प्रधान मंत्री ने दस हजार आवास की इस परियोजना के निर्माणकर्ता अनिल पन्धे का भी अभिनन्दन किया कि उन्होंने इतनी कम कीमत पर जिसका भार बीड़ी मजदूर भी उठा सकते हैं, असाधारण रूप से अच्छे आवास बनवाए हैं।

इस परियोजना को आसानी से एशिया के सबसे विशाल सहकारी आवास परियोजना कहा जा सकता है। इस परियोजना के अन्तर्गत 62 करोड़ रुपए में 10 हजार बीड़ी मजदूरों को, जिनमें सभी महिलाएं हैं, एक मंजिला घर मिले हैं। इस परियोजना की लागत के लिए प्रत्येक मजदूर ने 20 हजार रुपए दिए हैं। और 20–20 हजार रुपए ही प्रत्येक घर के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकारों ने दिए हैं। इस तरह परियोजना में बीड़ी मजदूरों, केन्द्र सरकार और राज्य सरकार, सभी का बीस–बीस करोड़ रुपए लगे हैं। सरकारों द्वारा दिया गया यह अंशदान, बीड़ी के हर बंडल पर बीड़ी मजदूरों के लिए वसूल किए जाने वाले महसूल से होने वाली प्राप्तियों में से आया है। दूसरी ओर मजदूरों का अंश या तो उनके प्रत्यक्ष भुगतान के रूप में आया है या फिर उनके प्रावीडेंट फण्ड जमा में से धन निकलवाने के जरिए। इस सबके अलावा केन्द्र तथा राज्य की सरकारों ने इस आवास परियोजना के लिए पानी की टेंकी के निर्माण, बिजली की लाइनें डालने तथा पांच मैगावाट का सब–स्टेशन बनाने आदि के खर्चे भी उठाए हैं।

मुख्य मंत्री विलासराव देशमुख ने घोषणा की कि राज्य सरकार ने परियोजना लागत के लिए केन्द्र के बराबर अंशदान किया है और आगे भी केन्द्र के बराबर अंशदान करती रहेगी। इसी के क्रम में उन्होंने सांकेतिक राशि के रूप में एक करोड़ रुपए का चैक भी दिया। इस आवास परियोजना में शामिल बीड़ी मजदूरों को कामरेड गोदावरी पारुलेकर के नाम पर गठित तीन आवास परियोजनाओं में संगठित किया गया है। परियोजना के तहत एक सामान्य आवास इकाई 555 वर्ग फुट क्षेत्र में है। आरसीसी सीमेंट के निर्मित 255 वर्ग फुट कवर्ड एरिया में एक हाल है, एक रसोई घर है और अलग–अलग शौचालय तथा स्नानघर हैं। प्रत्येक इकाई में 300 वर्ग फुट खुली जगह है। परियोजना में सामुदायिक सेवाओं, अस्पताल, स्कूल आदि, सभी जरूरतों के लिए भी पूरा प्रावधान किया गया है। इस पूरी परियोजना की डिजाइनिंग तथा निर्माण का काम पन्धे कंस्ट्रक्शन प्रा0 लि0 नाम की एक विख्यात तथा समर्पित निर्माण एजेंसी ने सम्भाला है।

यह परियोजना असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए सीआइटीयू की पहलकदमी के फलस्वरूप श्रमिक आंदोलन के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगी; इसमें संदेह नहीं। □

आज मैने 'वह' नही किया

राम प्रसाद काम से थककर घर पहुँचा। उसने देखा कि उसके तीनों बच्चे घर के बाहर मिट्टी में खेल रहे थे, वे अभी तक स्कूल की वर्दी में ही थे, आंगन में कागज और कूड़ा बिखरा पड़ा था। घर का मुख्य दरवाजा भी खुला था और कुत्ते का कोई नामोनिशान तक नहीं था।

राम प्रसाद घबराया हुआ घर के अन्दर दाखिल हुआ और पाया कि भीतर घर की हालत तो और भी खराब थी। घर साफ नहीं था, कुर्सी फर्ष पर गिरी हुई थी, बच्चों के कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े थे, बच्चों के खिलौने, टूटा हुआ गिलास सब वैसे ही पड़े थे। घर के पिछले दरवाजे के पास मिट्टी के ढेले पड़े थे। पंखा चल रहा था, टीवी भी ऊँची आवाज़ में चल रहा था।

रसोई में जाकर देखा तो कोई बर्तन साफ नही था, सब कुछ बिखरा हुआ था और सड़ी हुई सब्जी या दूध की बदबू आ रही थी।

बाथरूम में पानी बाल्टी से बाहर बह रहा था। भीतर झांककर देखा कि ट्यूब से मंजन बाहर आ रहा था। गीला और गंदा तौलिया जमीन पर पड़ा था। और साबुन पानी में पड़ा हुआ घुल रहा था।

राम प्रसाद बहुत भयभीत हो गया और उसे लगा कि या तो उसकी पत्नी सीता बहुत बीमार है या अवश्य ही कुछ बुरा हुआ है।

वह भागता हुआ अपने कमरे में पहुँचा और देखा कि सीता आराम से बिस्तर पर लेटी हुई एक किताब पढ़ रही है। सीता ने किताब से नजरें उठायीं और मुस्कुराकर राम प्रसाद का हालचाल पूछा। राम प्रसाद ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, 'आज यहां क्या हुआ?'

सीता फिर से मुस्कुराई और बोली, 'आप हर दिन काम से आकर मुझसे पूछते हैं, कि मैने पूरा दिन घर में क्या किया?'

राम प्रसाद (गम्भीरता से), 'हां तो! '

सीता (हँसकर), 'ठीक है! आज मैने वह नही किया।' □

भारतीय ट्रेड यूनियन केन्द्र (सीटू)

12 वां अखिल भारतीय महाधिवेशन

सीआइटीयू का बारहवां महाधिवेशन 17–21, जनवरी 2007 को बंगलौर, कर्नाटक में आयोजित होगा। जैसा कि सीआइटीयू जनरल कौंसिल की रांची बैठक में निर्णय लिया गया था बारहवें महाधिवेशन के लिए प्रतिनिधियों की कुल संख्या का निर्धारण वर्ष 2005 में सीआइटीयू की कुल सदस्य संख्या के आधार पर किया जाएगा। उसके अनुसार प्रतिनिधियों की कुल संख्या 2500 होगी; इसमें सीआइटीयू सचिव मण्डल के सदस्य तथा भ्रातृ प्रतिनिधिमण्डलों के सदस्य भी शामिल हैं। सीआइटीयू केन्द्र ने निश्चय किया है कि प्रति 1500 सदस्यों अथवा एक प्रमुख भाग (खण्ड) के पीछे एक प्रतिनिधि के अनुपात में प्रतिनिधियों के चुनाव किया जाएगा। इसके अंतिम आंकड़े का निश्चय 30 नवम्बर, 2006 के बाद किया जाएगा।

राज्य समितियों को पूरी कोशिश करनी होगी कि महाधिवेशन के प्रतिनिधियों का चुनाव करते समय सम्बन्धित राज्यों में सीआइटीयू की महिला सदस्यों की कुल संख्या की प्रतिशतता के अनुरूप महिला प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाए और महिला प्रतिनिधियों की संख्या हर हालत में कम से कम 15 प्रतिशत होनी चाहिए। राज्यों के प्रतिनिधिमण्डलों का चुनाव करते समय रोजगार प्राप्त श्रमिकों और छोटी यूनियनों के प्रतिनिधियों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। □

14 दिसंबर को होगी आम हड़ताल

ट्रेड यूनियनों की आयोजन समिति-जो कि नव-उदारवादी आर्थिक नीतियों के खिलाफ संघर्ष का एक संयुक्त मंच है-द्वारा 25 जुलाई को नयी दिल्ली में आयोजित मजदूरों की राष्ट्रीय कन्वेंशन ने संघर्ष के कार्यक्रमों की एक पूरी श्रंखला को अंतिम रूप दिया, जो आगामी 14 दिसंबर को अखिल भारतीय आम हड़ताल के रूप में अपने उत्कर्ष पर पंहुचेगी।

सात केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों-ए आइ सी सी टी यू, एटक, सीटू, एच एम एस, टी यू सी सी, यू टी यू सी-एल एस तथा यू टी यू सी और बैंक, बीमा, रेलवे, नागरिक उड्डयन, प्रतिरक्षा, डाक, पैट्रोलियम, टेलीकोम तथा अन्य क्षेत्रों और केंद्र तथा राज्य सरकारों के कार्यालयों तथा विभागों के मजदूरों तथा कर्मचारियों की अखिल भारतीय फेडरेशनों तथा एसोसियशनों और साथ ही साथ स्वतंत्र यूनियनों ने नयी दिल्ली के मावलंकर हाल में आयोजित मजदूरों की इस राष्ट्रीय कन्वेंशन में भाग लिया।

महंगाई, विनिवेश तथा निजीकरण, भर्तियों पर रोक, श्रम कानूनों में मजदूरविरोधी बदलावों, काम की आऊटसोर्सिंग (बाहर से काम कराना) तथा ठेकाकरण के खिलाफ और रोजगार सृजन और असंगठित मजदूरों तथा खेतमजदूरों के लिए सर्वसमावेशी कानूनों की मांग पर संयुक्त संघर्ष को और तेज करने के लिए एक देशव्यापी आंदोलन चलाने की योजना के लिए मजदूरों की इस राष्ट्रीय कन्वेंशन का आयोजन किया गया था।

29 नवंबर: सभी यूनियनों द्वारा संयुक्त रूप से अपने-अपने संस्थानों में हड़ताल के नोटिस दिए जाएंगे।

केंद्र के कपड़ा मंत्रालय ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उद्योग तथा श्रम मंत्रियों, कपड़ा उद्योग की एसोसियशनों तथा केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों की एक कांफ्रेंस आयोजित की थी। इस कांफ्रेंस के एजेंडे में मालिकान के पक्ष में श्रम कानूनों के प्रावधानों में छूट देना भी शामिल था।

मजदूरों की इस राष्ट्रीय कन्वेंशन ने इस कदम की निंदा की। सीटू के डब्ल्यू आर वरदराजन ने इस सिलसिले में एक प्रस्ताव पेश किया था, जिसका एटक के डी एल सचदेव ने समर्थन किया था। इस प्रस्ताव के जरिए कन्वेंशन ने शरद पवार के नेतृत्ववाले मंत्रियों के समूह के प्रस्तावों को ठुकरा दिया।

मजदूरों की यह राष्ट्रीय कन्वेंशन और 14 दिसंबर को अखिल भारतीय आम हड़ताल का उसका स्पष्ट आह्वान देश भर के मेहनतकश अवाम के जुझारू मूड को ही प्रतिबिंबित करता है, जिसके अनुभव दर्दनाक ढ़ंग से यह दिखाते हैं कि 2004 के पिछले आम चुनावों के बाद जो बदलाव आया,वह देश में आर्थिक मोर्चे पर और श्रम की स्थिति के मामले में और बदतरीन साबित हुआ है। यह निकट भविष्य में अनथक लड़ाई चलाने के मजदूरों के दृढ़ संकल्प को भी व्यक्त करता है।

14 दिसम्बर की ट्रेड यूनियन हड़ताल

हड़ताल की मुद्दे तथा फौरी मांगें

- आवश्यक व्यापार की वस्तुओं पर बढ़ते दामों को तुरन्त रोका जाए।
- दाम बढ़ाने की बजाय पैट्रोलियम उत्पादों के कर ढ़ांचे को पुनः बनाया जाए।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करो।
- भारत की खाद्य सोवर्निटी को खतरे में डालना बंद करो
- उपभोक्ता कीमत सूची की नई श्रंखला वापस करो जोकि वेतन भुगतान में कटौती का कारण है।
- खेती के संकट को हल करने के लिए दीर्घावधि कार्यक्रम चलाओ जिसमें आयात नीतियों की वापसी भी शामिल है।
- सभी खेतिहर मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन लागू करने के लिए सुरक्षित कानून लाओ।
- असंगठित क्षेत्र में मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार सुरक्षा इत्यादी सुनिश्चित करने के लिए कानून पास करो।
- श्रम कानूनों में श्रम विरोधी परिवर्तन बंद करो।
- श्रम कानूनों को लागू करवाने वाली मशीनरी को मजबूत करो।
- लाभ कमाने वाली इकाइयों और रणनीतिक क्षेत्र के नीजिकरण, विनिवेश पर रोक लगाओ
- आर्थिक क्षेत्र में आउटसोर्सिंग के प्रयत्न बंद करो।
- बिजली कानून 2003 और राष्ट्रीय बिजली नीति 2005 की समीक्षा करो।

के. हेमलता द्वारा आल इंडिया फेडरेशन आफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हैल्पर्स के लिए, ए-13, राऊस एवेन्यू नई दिल्ली-2 से संपादित एवं प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, ए-21, झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया, जीटी रोड, शाहदरा दिल्ली-95 से मुद्रित।